कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक / बैठक / 2019 / 870 दिनांक :: 15 जुलाई, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 4 जुलाई, 2019 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 24 मई, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 24 मई 2019 का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 24 मई 2019 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 24 मई, 2019 का कार्यवाही विवरण जरिये कमांक बैठक / 2019 / 795 दिनांक 4 जून, 2019 जारी किया जा चुका है। जिसके कम में निदेशक–वित्त ने आयुक्त महोदय को यू.ओ. नोट कमांक लेखा / 2019–20 / 500 दिनांक 7 जून, 2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 24 मई, 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ "जोधपुर किला रोड से बाल समंद रावटी सडक तक नवीन सडक निर्माण कार्य" के प्रस्ताव के निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ यथा– कार्य की भुगतान की राशि एवं भुगतान की दरों की शर्तें इत्यादि। अतः इस पर पुनः परीक्षण कर विस्तृत नोट के साथ निदेशक–अभियांत्रिकी से भुगतान की राशि व दर बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया जाना उचित होगा। निदेशक–वित्त के उक्त यू.ओ. नोट कमांक लेखा / 2019–20 / 500 दिनांक 7, जून, 2019 के कम में गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 2019 में प्रस्ताव संख्या 4 में लिये गये निर्णय को स्थगित किया जाकर निर्देश दिये गये कि "जोधपुर किला रोड से बाल समंद रावटी सडक तक नवीन सडक निर्माण कार्य" का प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों का समावेश कर निदेशक–अभियांत्रिकी से स्पष्ट प्रस्ताव मय स्पष्टीकरण निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अतः इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश कमांक 814 दिनांक 7 जून, 2019 की पुष्टि करते हुए बैठक में बाद विचार विमर्श गत बैठक दिनांक 24 मई, 2019 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 4 के अलावा शेष प्रस्तावों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्ताव संख्या 4 (जोधपुर किला रोड से बालसमंद रावटी सडक तक नवीन निर्माण कार्य) नये सिरे से समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: निजी सहायक, स्टेनों, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति बाबत्। JDA/FTS/ 59230

जोधपुर विकास प्राधिकरण में मंत्रालयिक वर्ग में निम्नानुसार पद रिक्त है :—

वर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
निजी सहायक	6	—	6
स्टेनों	6	—	6
वरिष्ठ सहायक	15	12	3
कनिष्ठ सहायक	50	19	31
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	11	4

उपरोक्तानुसार रिक्त पदों में वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के कुल 34 पद वर्तमान में रिक्त है। प्राधिकरण से 2019 व 2020 में कुल 9 वरिष्ठ सहायक सेवा निवृत हो जाने से रिक्तियां कुल 43 हो जायेगी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में कार्य के दबाव के दृष्टिगत उपरोक्त कनिष्ठ सहायक के 43 पद, 6 निजी सहायक, 6 स्टेनों एवं 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर नगरीय विकास विभाग जयपुर के स्तर से भर्ती/नियुक्ति करने बाबत प्रकरण कार्य समिति के सम्मुख विचारार्थ/निर्णायार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त कनिष्ठ सहायक के 43 पद, 6 निजी सहायक, 6 स्टेनों एवं 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर नगरीय विकास विभाग जयपुर के स्तर से अथवा किसी भी एजेन्सी से भर्ती प्रकिया करवाकर नियुक्ति हेतु उपलब्ध करवाने हेतु प्राधिकरण की सहमति नगरीय विकास विभाग को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की दरों को लागू करने बाबत। JDA/FTS/ 46656

पूर्व में दिनांक 23.9.2013 की प्राधिकरण की बैठक के बिन्दु संख्या–4 में समाचार पत्रों के भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत दरों को आधार मानकर करने के निर्णय के अन्तर्गत कार्यसमिति की बैठक दिनांक 30–31 जुलाई 2014 के प्रस्ताव संख्या 5 (6) के अनुसार राज्य के पांच समाचार पत्र यथा– राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत एवं जलतेदीप को जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत दर अनुसार भविष्य में भुगतान का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय स्तर के निम्न समाचार पत्रों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत दर के आधार पर दरों के संशोधन के संदर्भ में मांग के आधार पर निम्नानुसार दरें स्वीकृत बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत है।

क्र.स.	समाचार पत्र	संशोधित दर
1.	टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी संस्करण)	3594– प्र.व.सेमी समस्त संस्करण 1294– प्र.व.सेमी दिल्ली संस्करण
2.	इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण)	2346–प्र.व. सेमी समस्त संस्करण 529 – प्र.व.सेमी दिल्ली संस्करण

3.	हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी संस्करण)	2242–प्र.व. सेमी समस्त संस्करण 1466–प्र.व.सेमी दिल्ली संस्करण

– सजावटी विज्ञापन पर 15% छूट के साथ देय।
– गजट नोटिफिकेशन, आम सूचना, कार्यालय विज्ञप्ति, अवाप्ति नोटिस के प्रकाशन का भुगतान DPR/DIPR दरों पर होगा।
–नियमानुसार GST कटोती होगी।

निर्णय

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा में समस्त अधिकारियों को बैठक में विस्तृत एजेण्डा जो कि स्वतः स्पष्ट है, प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये। बैठक में प्रभारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवायी तथा यह भी अवगत कराया गया कि राशि रूपये 1.00 करोड रूपये से अधिक की निविदा प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार–पत्र में करवाने की नियमों में बाध्यता है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के समाचार –पत्रों को इन विज्ञापनों (निविदा प्रकाशन) दर निर्धारित नहीं होने से परेशानी का सामना करना पडता है तथा वित्तीय विसंगति भी उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र विज्ञापन/ आम सूचना/ नोटिस का प्रकाशन नहीं करते है। गत वर्षों में जो भी प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की दर पर ही करवाये गये है। अतः इस संबंध में दर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जानी किये जाने वाले विज्ञापनों का भुगतान किया जाना प्रभारी अधिकारी ने प्रस्तावित किया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी संस्करण), इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों/आम सूचना/नोटिस इत्यादि के बदले भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा नियत दर के अनुसार किया जावे तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा यदि ऐसी दर में कोई संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः ही जोधपुर विकास प्राधिकरंण, जोधपुर के लिए भी लागू होगी। इसके लिए पृथक से प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में दर संशोधन हेतु प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक कि सक्षम स्तर से जोधपुर विकास प्राधिकरण में कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) में ग्रामीण क्षेत्र की डी. सी. आर. के संबंध में। JDA/FTS / 82504

जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) की पुस्तिका के साथ ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर. संलग्न है परन्तु आवेदकों द्वारा मास्टर प्लान पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 137 व 138 पर उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अनुज्ञेय उपयोगों का कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक दिनांक 27.02.2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में श्रीमान द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार एवं वार्तानुसार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) पुस्तिका में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अनुज्ञेय उपयोगों को सम्मिलित करते हुए संशोधित डी.सी.आर का प्रारूप निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

RURAL AREA

Permitted Use Premises in Rural Area

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises

Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100' & above)
Residential	Farm Houses			
Commercial		Petrol Pump, Motels, Gas Godowns, Resorts, Gas Pump		
Public/Semi-Public		Nursery, Primary, Middle Schools, Coaching centre, Training Centre & institute	Secondary, Senior Secondary Schools	College, University, Professional Institution
Recreational	Parks	Playgrounds, Amusement Park, Water Park, Disneyland, Appu Ghar		
Industrial	Brick Kilns, Crushers, Agro Based Industry, Cottage Industry and Household, Small Scale Industries			
Agricultural	Plant Nursery, Orchard, Dairy Farm, Poultry farm, Wild life Sanctuary			
Public Utilities	On all roads after approval from competent authority			

* Village Abadi extensions upto certain limit is allowed in Rural Areas.

उपरोक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्र की संशोधित डी.सी.आर का प्रारूप अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में लघु उद्योग (स्माल स्कैल इण्डस्ट्रीज) को शामिल नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव में लघु उद्योग (स्माल स्कैल इण्डस्ट्रीज) को भी इण्डस्ट्रीयल में जोड़े जावे तथा तद्नुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: कॉरपोरेट पार्क, नॉलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी, आदि की डी.सी. आर के संबंध में चर्चा। JDA/FTS / 31569

श्रीमान् निदेशक आयोजना द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) में कॉरपोरेट पार्क भू–उपयोग की डी.सी.आर नहीं बनी हुई है। उक्त के क्रम में चर्चानुसार कॉरपोरेट पार्क भू–उपयोग की डी.सी.आर का प्रारूप निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

CORPORATE PARK

Corporate Park is proposed in Master Plan keeping in mind the influence of Oil Refinery in Pachpadra, Barmer & Delhi-Mumbai Freight Corridor (DMIC). The vision behind proposing Corporate Park is to promote multi-national companies & other different Corporate activities of big companies.

Corporate park may refer to :

- Business park
- Industrial park
- Science park

The following use premises are permissible in this land use after approval of the authority

Uses	Minimum road width and use premises 24m (80' & above)
Residential	Farm Houses, Flats, Group Housing.
Commercial & Institutional	Corporate Offices, I.T. Park, Bio-technology Park, Research & Development Center, Exhibition Center, Luxury Hotels, Multiplex, Malls, Bank, Restaurants, Commercial Complex, Cinema Halls, Fuel Filling Stations, Offices, Convention Centre, etc.
Industrial	**Light Industries**:- Car Wash, Dry Cleaning, Showroom, Vehicle Sales/ Hire Premises, etc. **General Industry**:- Fuel Depot, Landscape Supplies, Laundry, Milk Depot, Motor Vehicle Repairs, Salvage Yard, etc
Public/Semi Pbulic Use	Club house, Primary & Middle Schools, General Hospitals etc.
Governmental/Public Utilities	On all roads after approval from competent authority

Note

- No Heavy Industry shall be allowed in the above use.
- Farm House may be allowed on road width as per prevailing Govt. norms.
- Special Activities like I.T. Park, Bio-technology Park etc., the schemes of not less then 10 hectares shall be permitted as per Township Policy-2010 & the parameters for the above schemes shall be governed with the circular of UDH dated 26-02-2013 & thereafter any revisions in the above circular by the competent authority.

उपरोक्तानुसार कॉरपोरेट पार्क भू–उपयोग की डी.सी.आर बनाये जाने का प्रारूप कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने बाबत प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि उपरोक्त डी.सी.आर. में 10 हैक्टेयर की बाध्यता को विलोपित किया जाना उचित होगा। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव में "Note

- Farm House may be allowed on road width as per prevailing Govt. norms.
- Special Activities like I.T. Park, Bio-technology Park etc., the schemes of not less then 10 hectares shall be permitted as per Township Policy-2010 & the parameters for the above schemes shall be governed with the circular of UDH dated 26-02-2013 & thereafter any revisions in the above circular by the competent authority." को भी विलोपित किया जाना उचित होगा।

साथ ही उक्त डी.सी.आर. में Light industries एवं General industries के स्थान पर Non-polluting (प्रदूषण रहित) एवं Non-manufacturing (गैर विनिर्माण) industries" शब्द को जोड़ते हुए उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार डी.सी.आर. प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: श्री शिवी संयम, अधिवक्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में जोधपुर विका प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से अधिवक्ता की नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदनार्थ हेतु। JDA/FTS / 11613

श्री शिवी संयम, अधिवक्ता के पत्र दिनांक 28.12.2018 द्वारा अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, नई दिल्ली में प्राधिकरण की ओर से नियुक्ति बाबत निवेदन किया है। श्री शिवी संयम के उक्त प्रार्थना पत्र पर जोधपुर

विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में पैरवी करने हेतु कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अध्याधीन प्राधिकरण के आदेश क्रमांक एफ–42/विधि/जेडीए/2019/420 दिनांक 03.06.2019 के द्वारा की गई है। श्री शिवी संयम अधिवक्ता को देय फीस का निर्धारण प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति के अनुमोदन के द्वारा किया जाएगा। फीस के अलावा अन्य विविध खर्चो का वास्तविक भुगतान देय होगा।

श्री शिवी संयम, अधिवक्ता की नियुक्ति को कार्यकारी समिति के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: रेक्सको (Rexco) वर्ष 2019–20 के अनुबंध के माध्यम से बरकतुल्ला खां स्टेडियम मे 06 अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड लगाये जाने की स्वीकृति हेतु। JDA/FTS / 90223

जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक 21 दिनांक 12.04.2019 के तहत रेक्सको (Rexco) से वर्ष 2019–20 हेतु 01 सुरक्षा अधिकारी, 02 सुपरवाईजर, 57 सुरक्षागार्ड, 01 लिपिक हेतु सिक्योरिटी गार्ड के लिये अनुबंध किया गया है तथा इसी अनुबंध मे अतिरिक्त 6 सिक्योरिटी गार्ड बरकतुल्ला खां स्टेडियम मे रेक्सको (Rexco) के माध्यम से 2–2 सिक्योरिटी गार्ड तीन पारियो मे पत्रावली के कार्यालय टिप्पणी के पेरा नं. एन/12 के तहत कार्यकारी समिति की बैठक मे रखे जाने की अनुशंषा की है, अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान रेक्सो के माध्यम से प्राधिकरण में नियुक्त किये जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड की संख्या (स्ट्रैन्थ) 70 करने की आवश्यकता महसूस की गयी। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए रेक्सो के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड की संख्या (स्ट्रैन्थ) 70 (सत्तर) करने का निर्णय लिया गया तथा स्वीकृत 70 की संख्या में से 6 सिक्योरिटी गार्ड बरकतुल्ला खां स्टेडियम में पूर्व में लगे के अतिरिक्त लगाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण भवन मरम्मत कार्य हेतु एवं प्राधिकरण रहवासीय आवासो का मरम्मत कार्य (वार्षिक अनुबंध) की अधिक व अतिरिक्त आईटम स्वीकृति बाबत्। JDA/FTS/ 91065

प्राधिकरण द्वारा कार्यादेश कमांक एफ 38 (03) 2015–16 के तहत " प्राधिकरण भवन मरम्मत कार्य हेतु एवं प्राधिकरण रहवासीय आवासो का मरम्मत कार्य (वार्षिक अनुबंध) " का कार्यादेश मैसर्स आफरीन सप्लायर्स को राशि रू. 59.70 लाख का जारी किया गया है। उक्त कार्य की कुल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 70.00 लाख की है जिसके विरूद्ध संवेदक को रू. 47.44 लाख का भुगतान हो चुका है तथा अंतिम बिल से राशि रू. 753557/– का भुगतान किया जाना शेष है।

प्राधिकरण के समस्त भवनो, फ्लैटो एवं परिसम्पतियो, एसटीपी कार्यालय, युआईटी बैंक भवन, प्राधिकरण कार्यालय के प्रांगण मे स्थित मंदिर का जीर्णोद्वार व सीवरेज व टयुब वेल की पाईप लाइन एवं पुलिस निरीक्षक आई जी जोधपुर के भवन राजकीय बंगला नं सी–14 एयरफोर्स रोड मे विभिन्न सिविल मरम्मत (ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट, रंगरोगन एवं नवीन फाईल्स फ्लोरिंग इत्यादि) का कार्य करवाया गया है

उपरोक्त सभी कार्य उक्त अनुबंध के तहत निष्पादित करवाये गये जिस कारण कार्यादेश राशि से 39.85 प्रतिशत अधिक (Execess) (राशि रू. 2378697.94) करवाया गया द्वितीय विपत्र तक 35.37 प्रतिशत अधिक (Execess) (राशि रू. 21,11,452/–) कार्य की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पेरा एन/80 में प्रदत है। जबकि ततसमय लागू SOP के कम सं. 21 के अनुसार कुल कार्यादेश राशि का 50 प्रतिशत तक अधिक कार्य स्वीकृत करने की शक्तियां आयुक्त महोदय मे निहित थी। किन्तु RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के नियम 73 2 (क) के अनुसार संकमो की दशा मे व्यष्टिक मदो की मात्रा का 50 प्रतिशत तक और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत परिमाण मे परिवर्तन करने का प्रावधान है।

इसी प्रकार कार्यादेश राशि से 19.40 प्रतिशत अतिरिक्त (Extra) (राशि रू. 1157999.27) कार्य करवाया गया । द्वितीय विपत्र तक 13.75 प्रतिशत अतिरिक्त (Extra) (राशि रू. 9,21,121/–) कार्य की स्वीकृति अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रदत है जबकि पूर्व की SOP में 20 प्रतिशत या 10.00 लाख रूपये तक (जो भी कम हो) अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करने की शक्तियां अधिशाषी अभियंता में निहित थी चुकि अब तक अतिरिक्त कार्य जी शेडयुल का 19.40 प्रतिशत/राशि रू. 1157999.27 का करवाया जा चुका है। पत्रावली के पेरा सं. 109 के बिन्दु सं. 01 के अनुसार निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति राशि से अधिक को रोकते हुये अंतिम विपत्र फाईनल करने के निर्देश प्रदान किये गये है RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के नियम 73 2 (क) के अनुसार संकमो की दशा मे व्यष्टिक मदो की मात्रा का 50 प्रतिशत तक और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिक व अतिरिक्त) परिमाण मे परिवर्तन किया जा सकता है।

इस कार्य की पत्रावली के अनुसार कुल अधिक कार्य (39.85 प्रतिशत) व अतिरिक्त कार्य (19.46 प्रतिशत) कुल 59.29 प्रतिशत निष्पादित हुआ है एवं द्वितीय बिल तक संवेदक को अधिक कार्य 35.37 प्रतिशत व अतिरिक्त कार्य 13.75 प्रतिशत कुल 49.12 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है। अधिक व अतिरिक्त कार्य का विवरण निम्नानुसार :–

01) अधिक कार्य का आईटमवार विवरण :–

S.No.	BSR	ITEM	Qty.	Unit	Rate	Amount	%	Remarks
1	B-1.8	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic Excavator)/ manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including taking out the excavated soil and depositing and refilling of jhiri with watering & ramming and disposal of surplus excavated soil as directed with in a lead of 50 meter. All kinds of soils	192.19	Cum.	159.00	30558.21	480.48%	
2	1.34	Surface dressing of the ground including removing vegetation and inequalities not exceeding 15cm deep and disposal of rubbish lead upto 50mtr. and lift upto 1.5Mtr. All kind of soil.	39.64	100 Sqm.	575.00	22795.01	1982.18%	

3	3.3	Providing and laying cement concrete including curing, compaction etc. complete in retaining walls, return walls (any thickness) including attached pilasters, coloumns, pillars, posts, struts, buttresses, string or lacing courses, parapets, coping, bed blocks, plain window sills, fillets etc up to floor three level excluding the cost of centering and shuttering 1:1.5:3 (1Cement :1.5 Course Sand : 3 Graded stone aggregate 20 mm nominal size	15.37	Cum	4323.00	66444.51	114.96%	
4	5.3	Half brick masonry in foundation & plinth using bricks of designation 75 with nominal hoop rainforsed (2 Nos. 6mm MS bar) at every fourth course in for hoop rainforcement 1Sqm. 6mm MS bar. Cement mortar 1:3 (1-Cement:3-coarse sand).	8.11	Sqm	531.00	4306.41	27.0[illegible]%	
5	6.4	Extra for facing as per design and detailed specifications including additional cost of stones over item No.Course rubble facing Second Sort.	117.45	Sqm.	227.00	26661.15	117.45%	
6	6.76	S&F 50 to 75 mm thick fine dressed and machine grained surface white Soorsgar stone partition in cement mortar 1:6 with joint finish flush pointing with white cement sand mortar 1:3 with colour pigment of approved shade as per existing shop & as per direction of Engineer-in-charge.	0.93	Sqm.	1815.00	1687.95	9.30%	
7	7.3	Providing and fixing Ist quality standard White Ivory Glazed Tiles ISI marked [IS:13753] of size 300mm x 200mm in walls, floors, steps, pillars etc. laid on a bed of neat cement slurry finished with flush pointing in white cement mixed with pigment to match the shade of tile complete (excluding the cost of cement plaster). Category-I : Kajariya, Jhonson, Orient, Somani make etc.	144.55	Sqm.	753.00	108846.15	96.37%	
8	8.6.2	Providing and fixing fully paneled double leaf shutter for doors as per approved design and drawing with approved ordinary C.P./oxidized steel fittings as per Annexure – A' and width of styles & top rails of 100mm and lock rails width of 150mm and bottom rails of 200mm width including teak wood beading of size 19mmx12mm on both faces complete : Wire gauge 24 gauge 14 mesh of IS designation 85 gauge wires of dia 0.56 mm panels 30 mm thick Nigeria teak wood grade - I	1.70	Sqm.	2742.00	4661.40	17.00%	
9	9.19	Providing and fixing steel gate grating and grills made of angles, tees, square bars or other flats black pipe with holdfast and fittings complete as per design and drawing including cutting welding and fabrication with priming coat of red oxide.	1146.37	Kg.	89.00	102026.57	95.53%	
10	9.31	Supplying and fixing fixed wire gauge of 14 mesh x 24 gauge to the metal frame of rolled section by metal beading 20x3mm with suitable screw at not exceeding 150mm distance.	107.81	Sqm.	547.00	58972.07	539.05%	

11	9.40	Providing and fixing welded mesh/expanded metal mesh in frame work, flat iron beading 20x3mm including top cross laps inside and out sides welding, iron bolts, crews, clips etc. complete (excluding frame work) of size. Welded mesh 25x25mmx16 gauge.	118.30	Sqm	581.00	68732.30	591.50%	
12	10.8	Providing batta (gola) 75mm x 75mm in cement concrete (1:2:4) including finished with cement mortar 1:3 as per standard design.	74.75	Mtr.	28.00	2093.00	149.50%	
13	10.50	P & F Plain Fiber glass sheet (FRP sheet fiber Reinforcement product sheet confirming to IS:12866-1989 having minimum thickness as below including fixing with nuts bolts hooks and bitumen washer etc. complete.) 5.0 mm thick (Wt.8.4 Kg./Mtr.Sq.)	122.63	Sqm.	2619.00	321167.97	204.38%	
14		Add extra for corrugated Fiber glass sheet as per Asbestos cement profile/ steel profile over item No. 10.5	122.63	Sqm.	261.90	32116.80	204.38%	
15	10.53	Providing and laying 20 to 25 mm size glazed tiles pieces for rooof treatment having colour and shade as approved by the Engineer incharge over 25 mm thick layer of cement mortar mix 1:4 with application of cement slurry including finishing of joints with ordinary cement and curing etc. complete in all respect. Washing with acid.	749.61	Sqm.	253.00	189651.33	749.61%	
16	11.3.4	Cement concrete flooring grade 1:2:4 (1-Cement:2-Coarse sand:4-graded stone aggregate) rounding off edges etc. but excluding the cost of nosing of steps etc. complete : (a) 75 mm thick with 20 mm thick nominal size aggregate.	92.88	Sqm.	371.00	34458.48	92.88%	
17		(b) 50 mm thick with 20 mm thick nominal size aggregate.	748.12	Sqm	281.00	210221.72	748.1[illegible]%	
18	12.8	Plaster on new surface on walls in cement sand mortar 1:4 including raking of joints etc. complete [illegible] mm thick	55.12	Sqm	204.00	11244.48	3.67%	
19	12.13(a)	Deep groove pointing on stone masonry in white cement sand mortar (1:3) with colour pigment of approved shade for all type of masonry incl. racking of joint as per specification complete in all respect.	376.44	Sqm	144.00	[illegible]	[illegible]	
20	12.46	White washing with whiting to give an even shade including all scaffolding : (a) New work (three or more coats).	138.47	Sqm.	9.00	1246.23	46.16%	
21	12.51	Distempering with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: New work (two or more coats) over and including scrapping and priming coat with cement primer.	4658.95	Sqm.	66.70	310751.97	665.56%	
22	12.51.2	Distempering with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade including all scaffolding: Old work (one or more coats) including scrapping surface and necessary repairs. (a) Colour change	1021.59	Sqm	20.70	21146.91	113.51%	

23	12.53	Finishing wall with water proofing cement paint of approved brand and manufacture and or required shade to give an even shade including all scaffolding (a) New wo.k (Three or more coats)	5161.82	Sqm	71.00	366489.22	860.30%	
24		(b) Old work (One or more coats)	294.70	Scm	34.50	10167.15	147.[illegible]	
25	12.68	Painting with enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade (a) Two or more coats on new work	981.[illegible]	Sqm	54.00	53003.70	98.16%	
26		(b) One or more coats on old work	861.81	Sqm	35.70	30766.62	[illegible]	
27	13.32	Labour charges for repair of wooden double leaf door including cutting old damaged wood, panel, chieselling and refixing including screws etc. complete in all respect as per direction of Engineer incharge. Excluding cost of material.	71.00	Nos.	459.00	32589.00	88.75%	
28	B-14.2	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metres lead : 1:3:6 or richer mix.	2.39	Cum.	645.00	1541.55	23.90%	
29	14.56	Dismantling of flooring with care including stacking of servceable material and diposal of unserviceable material with in 50 Mtr. Lead for Cement concrete flooring	901.11	Sqm	70.00	63077.70	901.11%	
30	15.58	S & F of curtain valvet cloth of superior quality, as approved by Engineer incharge	45.73	Sqm	160.00	7316.80	22.87%	
31	H-1.3	Supply & Stacking good earth at site complete including loading unloading and transportation etc.	219.77	Cum.	125.00	27471.25	439.54%	
32	R-3.6	Removal of unsuitable soil including excavation, loading and disposal upto 10 km. lead but excluding compaction ground supporting embankment subgrade replacement by suitable soil, which shall be paid separately as per Clause 303.5.2 as per Technical Specification Clause 302.3.11	338.91	Cum.	40.80	13827.53	677.82%	
33	G-5	Carriage of Building Rubish etc. lead up to 10 km. including loading unloading	172.25	Cum.	88.70	15278.58	114.83%	
Total Part-A					2305527.07			
Part-B (Sanitary Work)								
1	1.2	P & F Indian type white glazed vitreous china Ist quality W.C. orissa pan (IS:2556 Mark) with 100 mm vitreous china P or S trap including cutting and making good the wall and floor : Size 530x410 mm.	1.00	Nos.	1864.00	1864.00	33.33%	
2	1.6	P & F Universal (anglo-Indian type) white glazed vitreous china W.C. pan Ist quality with P or S trap including cutting and making good the wall and floor.	7.00	Nos.	2255.00	15785.00	350.00%	
3	1.8	P & F water closet Seat Covers with brass hinges complete IS 2548-1996 : Solid PVC (ISI marked) grade-I Black for EWC.	16.00	Nos.	330.00	5280.00	533.33%	
4	1.10	Labour charges for removing WC Pan (any type) of all sizes with care incl. all necessary fittings P or S trap	1.00	Nos.	206.00	206.00	20.00%	

5	1.23	P & F Automatic Flushing Cistern of first quality (IS : 774 mark) of approved make fitting, syphon with copper tube, C.I. brackets complete including cutting and making good the wall. White vitreous china 10 litres as per IS : 2556	10.00	Nos.	985.00	9850.00	333.33%	
6	1.35	Removing and re-fixing of wasn hand basin including all necessary fittings.	2.00	Nos.	100.00	200.00	66.67%	
7	1.39	P & F WVC Wash basin (Ist quality IS:2556 Mark) of approved make with C.I. brackets duly painted 1 No. 15 mm C.P. Pillar cock (IS:8934 Mark) & 32 mm C.P. brass waste coupling of approved make 25 mm G.I. waste pipe complete including cutting & making good the wall : Size 550 mm x 400 mmmm	4.00	Nos.	1700.00	6800.00	50.00%	
8	1.46	P&F waste pipe with all fitting PVC with C.P. Nut 32mm	24.00	Nos.	116.00	2784.00	300.00%	
9	1.48.1	P&F looking mirrors with PVC frame of approved (atul/equivalent) Size 500x400mm	2.00	Nos.	278.00	556.00	40.00%	
10	1.50	P&F towel rail or ring of approved quality /make: C.P. brass towel rail with bracket 450 x20mm.	8.00	Nos.	220.00	1760.00	160.00%	
11	1.55	P&F Soap dish or tray of approved quality/ make. C.P. brass heavy and superior quality	4.00	Nos.	88.00	352.00	80.00%	
12	1.61.1	Labour charges for removing WVC WC pan India/ Orissa pan	1.00	Nos.	110.00	110.00	33.33%	
13	2.1	P & F G.I. Pipes (Internal work) with G.I. fittings (IS 1239 Mark) & M.S. clamps including cutting and making good the walls and floors : (a) Exposed on wall (a) 15 mm dia nominal bore. 'B' Class	124.69	Mtr.	187.00	23317.03	249.38%	
14	2.1.3	(b) 25 mm dia nominal bore. 'B' Class	62.98	Mtr.	288.00	18138.24	209.93%	
15	2.7.3	P & F Bib Cock (IS 8931 Mark) Superior quality of approved make : C.P. Brass bib cock, 15 mm nominal bore	29.00	Nos.	470.00	13630.00	290.00%	
16	2.11.1	P & F Ball Cock (IS 1703 Mark) with Rod & P.V.C. Ball complete Brass wt. 400 gm, 15 mm	6.00	Nos.	294.00	1764.00	120.00%	
17	2.12	P & F Inlet Connection (Angle Valves) Superior quality of approved make, for Wash basin, Gyser etc. C.P. Inlet connection 15 mm Brass (IS:8931 marked).	80.00	Nos.	316.00	25280.00	[illegible]	
18	2.13	P & F 15 mm. Dia Connection pipe of approved quality/make: -do- 450 mm.	27.00	Nos.	56.00	1512.00	270.00%	
19	2.15.1	P & F Full-way valve (IS:778 Mark) or wheel valve of approved make : Gun-metal 15 mm nominal bore.	9.00	Nos.	322.00	2898.00	150.00%	
20	2.15.3	P & F Full-way valve (IS:778 Mark) or wheel valve of approved make : Gun-metal 25 mm nominal bore.	11.00	Nos.	404.00	4444.00	183.33%	
21	2.26.3	P & F PVC Storage Tank (IS:12701 marked indicating the BIS license No.) of approved make with cover, 25 mm dia 1 M long G.I. over-flow pipe & 25 Cm. long wash out pipe with plug & socket, including making connection etc. complete of approved design. (b) 1000 litres capacity.	4.00	Nos.	6900.00	27600.00	100.00%	

22	2.27	Hoisting Charges for each floor : For item 2.26.5 to 2.26.8	1.00	Nos.	60.00	60.00	20.00%
23		(e) Wall mixer 3 in 1 system with provision of telephonic bath shower with bend pipe	5.00	Nos	3509.00	17545.00	250.00%
24	3.19	P&F rigid PVC Pipe (IS 4985 mark) class II(4 Kg /Cm) approved quality /make including joining the pipe with solvent cement rubber ring and lubricant [illegible]	81.98	Mtr	161.00	13198.78	[illegible]
25	3.19.3	P&F rigid PVC Pipe (IS 4985 mark) class II(4 Kg /Cm) approved quality /make including joining the pipe with solvent cement rubber ring and lubricant 110mm dia	[illegible]	Mtr	251.00	[illegible]	[illegible]
26	3.20	P&F rigid PVC pipe fittings (IS : 4985 mark) of approved quality / mark including jointing the fitting with solvent cement rubber ring and lubricant:					
27	(a)	Coupler (Socket) 110mm dia	1.00	Nos.	100.00	100.00	20.00%
28	(b)	Reducer 110 x 75mm ,110mm dia	1.00	Nos.	100.00	100.00	20.00%
29	(c)	Plain Tee, 110mm dia	2.00	Nos.	191.00	382.00	40.00%
30	(e)	Bend 45, 110mm dia	27.00	Nos.	362.00	9774.00	540.00%
31	(f)	Door Bend (Top side), 110mm dia	1.00	Nos.	158.00	158.00	20.00%
32	(h)	Pipe Clip, 110mm dia	34.00	Nos.	36.00	1224.00	680.00%
33	(i)	P-Trap, 110mm dia	21.00	Nos.	389.00	8169.00	420.00%
34	3.21	Construction of manhole in all type of soil inner size 90 X 60 Cm. thick masonry in CM 1:6, 10 Cm. thick cement concrete 1:5 10 in foundation, 20 mm thick inside plaster in CM 1:6, finished with floating neat cement, 50mm thick M-15 grade C.C. flooring,making channels, 80mm thick stone slab covering with 40mm thick M-15 grade C.C.flooring , 25 Kg. CI cover with frame of 40mm dia, earthwork etc. complete as per design including disposal of surplus earth within 50 mtr. lead. Depth upto 0.5mtr	4.00	Nos	3202.00	12808.00	400.00%
35	3.21.2	Add extra over item 3.21.1 for every addl. 0.10mtr depth above 0.5m depth.	1.00	Nos.	181.00	181.00	100.00%
36	3.22	Construction of Man hole, in all types of soil inner size 1.5 x 1.2 M, with, 450mm thick masonry in CM 1:6, 10 Cm. thick cement concrete 1:5:10 in foundation, 20mm thick inside plaster in CM 1:6, finished with floating neat cement, 50 mm thick M-15 grade C.C. flooring making channels, 80 mm thick stone slab covering with 40 mm thick M-15 grade C.C. flooring, 38 Kg. C.I. cover with frame of 450mm dia, earthwork etc. complete including disposal of surplus earth within 50 mtr. lead as per design : Depth upto 1.5mtr	1.00	Nos.	10949.00	10949.00	100.00%

37	3.23.2	Construction of chamber in all type of soil with 300 mm thick masonry in Cm 1:6 m 100mm thick C.C. 1:5:10 in foundation, 20mm thick insider plaster in Cm 1:6, finished with floating neat cement, 50mm thick M-15 grade C.C. flooring , earthwork etc. complete as per design including disposal of surplus earth within a lead of 50 mtr.Inside size 450 x 450mm upto depth of 0.5m & 15Kg CI cover with frame	9.00	Nos.	1132.00	10188.00	300.00%
38	3.34	Supplying and fixing Ferro cement cover with CI frame for chamebrs & man holes of size 500mm dia 25Kg -do- 70MT centre point load seal type (Heavy duty)	25.00	Nos.	2732.00	68300.00	500.00%
39	3.47	Raising manhole cover and frames slab to reqd. level incl. dismantling existing slab and making good the damage as reqd. (raising depth of manhole masonry to be paid separately). (a) Rectangular manhole 90x60cm	3.00	Nos.	964.00	2892.00	150.00%
Total Part-B					362969.61		
Total Part-A+B					2668496.68		
Less T.P. 10.86% Below					-289798.74		
Grand Total					2378697.94		

39.85%

2) अतिरिक्त कार्य की आईटमवार विवरण :–

S.No.	BSR	ITEM	Qty.	Unit	Rate	Amount	Remarks
1	14.54	Dismantling old plaster or skirting, raking out joints and cleaning the surface for plaster incl. disposal of rubbish to the dumping ground within 50mtr lead	1068.69	Sqm.	9.11	9735.77	
2	1.1	Earth work in surface excavation not exceeding 30 Cm. In depth but exceeding 1.5 meter in width as well as 10 Sqm. on plan including disposal of excavated earth up to 50 Mt. And lift up to 1.5 Mtr. Disposed soil to be leveled and neatly dressed. All kinds of soil.	[illegible]	Sqm.	35.70	1789[illegible].41	
3	3.4	Excavation for roadwork in soil including cutting, trimming bottom and side slopes, in accordance with requirements of lines, grades and cross-sections, and disposal to the embankment location with a lift upto 1.5 m and lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 302.3	204.18	Cum.	31.00	6329.58	
4	G-5	Transportaion of excavated earth with all lead and lift.	472.46	Cum.	66.50	31418.59	
5		Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials upto a lead of 100 m, (All useful materials obtained by dismentling shall be property of the contractor) as per Technical Specification Clause 202 (a) Bituminous Courses	25.02	Sqm.	31.00	775.62	
6		(b) Granular Courses	25.02	Sqm.	15.00	375.30	
7	6.16	Supplying and fixing machine cut and polished stone shelves, tands and sills in CM 1:3 with machine cut edges. Sand or other approved stone 25 mm thick.	2.25	Sqm.	1202.00	2704.50	

8	11.33	Providing and laying Chequerred plain cement concrete embossed specially manufactured non-slipping tiles of approved make 20 mm thick laid on 20 mm thick bed of cement mortar 1:6 jointed with neat cement slurry complete	36.86	Sqm	393.00	14485.98	
9	11.34	Add extra for chequerred coloured plain cement concrete or specially manufactured non slipping tiles of approved make 20 mm thick	[illegible]	Sqm	20.70	[illegible]	
10	11.28	Crazy marble stone flooring 20 mm thick marble stone with black or of specified colour topping including filling the gaps with cement marble chips mix in proportion of 4:7 (4-Cement:7-White black or white or black marble chips) size from 1 mm to 4 mm by volume and under layer of 25 mm thick cement concrete [1:2:4, graded stone aggregate 12.5 mm nominal size] rubbing and polishing and cement slurry etc. complete : In ordinary cement	27.12	Sqm	496.00	13451.52	
11	11.41	Grinding & polishing on mosaic / polished stone flooring : Old surface.	1334.97	Sqm.	174.00	232284.78	
12	9.64	Supply & fixing of stainless steel pipe railing for ramp railing height, 90 cm. with 40 mm dia stainless steel pipe with 18 gauge with drop (vertical post) at 90 cm. C/C and intermidiate horizontal pipe with suitable height of same size and gauge with coupling, grinding and polishing & fix of master pieces as per required point as per approved design of Engineer incharge.	10.21	Mtr.	2493.00	25453.53	
13	8.51	Providing and fixing nickel plated M.S. pipe curtain rods with nickel plated brackets. 25 mm dia (Heavy type)	80.76	Mtr.	92.00	7429.92	
14	6.22	Providing and fixing stone jali 40 mm thick through out (without sinking or moulding in jali slab) in CM 1:3 including pointing in white cement marble mortar 1:2 including pointing in white cement marble mortar 1:2 (1-Cement:2-marble dust) with an admixture of pigment matching the stone shade, jali patterns to be cut square to jali slab without any chamfers etc.: White Sand stone.	2.88	Sqm.	5034.00	14497.92	
15	4.15	Providing precast cement concrete jali, nominal mix 1:2:4 (1-Cement:2-Sand:4-stone aggregate 6 mm nominal size) reinforced with 1.6 mm dia Mild steel wire, including centering and shuttering roughening, cleaning, fixing and finishing in cement mortar 1:3 (1-Cement:3-fine sand) etc., complete as per approved design excluding plastering of jambs, sills and soffits up to floor three level. 40 mm thick	0.61	Sqm.	521.00	317.81	
16	1.1	Supply of dry manure including loading unloading, transportation & stacking at site. Goat dungmanure	3.55	Cum.	900.00	3195.00	
17	(a)	Mixing earth and manure impropriation as specified or directed for pots.	167.96	Sqm.	50.00	8398.00	
18	2.1.5	Maintenance of shrubbary or Hedge cutting including disposal of rubbish with all leads & lifts.	3750.16	100 Sqm	500.00	18750.80	
19	1.1	Supply of PVC hose pipe of different sizes at store including transportation etc. complete : 25mm dia.	162.00	Mtr.	80.00	12960.00	

20	8.18	Providing and fixing external grade board solid core single leaf flush door shutters ISI 2202-67 marked using Phenol formaldehye resin, in glue both sides with approved steel fittings complete as per Annexure 'A' IS 2202 (Part I & II) 1999/1983. Decorative Teak veener one side 25 mm thick shutter	2.71	Sqm.	1347.00	3650.37	
21	11.5	Providing and fixing Polyvinyl Chloride sheet / P.V.C. tile (with backing of Hessian cloth or other woven fabric flooring using rubber base adhesives including rolling with light wooden roller complete : 1.5 mm thick sheet.	39.62	Sqm.	360.00	14263.20	
22	R-2.3	Cutting of trees, including cutting of trunks, branches and removal of stumps & roots, refilling, compaction of backfilling and stacking of serviceable material by manual means with all lifts as per Technical Specification Clause 201.	72.00	Nos.	870.00	62640.00	
23	3.2	Renovating lawns including weeding cheeling the grass forking the ground top dressing with manure. Mixing the same with forked soil watering maintaing the lawns for 30 days or more till grass forms a thick lawns free from weeds & fit for mowing & disposal of rubbish as directed.	482.00	100 sqm.	4500.00	21690.00	
24	1.22	P & F Low level Flushing Cistern of 10 litres capacity (IS:2556 mark) of approved make with complete fittings C.I. brackets duly painted, brass ball cock with ball, (IS:1703 mark) complete including cutting and making good the wall : WVC with C.P. brass bend.	6.00	Nos	1510.00	9060.00	
25	a	Add extra over item 3.21.1 for every addl. 0.60mtr depth to 0.7m depth.	2.00	Nos.	362.00	724.00	
25	b	Add extra over item 3.21.1 for every addl. 0.70mtr depth to 0.80m depth	1.00	Nos	543.00	543.00	
26	[illegible]	Providing Laying & Jointing R.C.C. class NP 2 Non Pressure pipes (IS 458 mark) of approved make with collars, jointed with C.M. 1 : 2 or having Spigot and socket ends with flexible rubber rings joint including testing of joints etc. complete 200mm dia Internal.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	15.4	Providing granular bedding having width = outer dia of pipe (Bc) + 500mm, thickness below pipe = 0.25Bc or 100mm (whichever is higher) and haunching = 0.5Bc, with graded hard crusher broken stone of 100% passing through 20mm sheive, 20 to 50 % passing through 10mm sheive and 100 % retain on 6.3mm sheive, laying in layers of thickness 10/15cm including ramming, consolidation etc complete for RCC pipes of following sizes as per drawing and or as directed by Engineer. 200 mm internal diameter RCC pipe	55.00	Mtr.	103.00	5665.00	
28	1.4	P & F European type white glazed vitreous china Ist quality W.C. pan (IS:2556 Mark) with P or S trap including cutting and making good the wall and floor.	5.00	Nos.	1489.00	7445.00	

Srm

29	1.15	P & F Ist quality WVC Urinal (IS 2556 mark) with 25 mm dia G.I waste pipe, dome couplings, concealed iron brackets or screws etc complete Flat Back (large) or half stall size 590x375x[illegible] mm	1.00	Nos.	2138.00	2138.00	
30	2.15.6	P & F Full way valve (IS 778 Mark) or wheel valve of approved make Gun metal 50 mm nominal bore	[illegible]	Nos.	[illegible]	[illegible]	
31	2.1.6	P & F G.I. Pipes (Internal work) with G.I. fittings (IS:1239 Mark) & M.S. clamps including cutting and making good the walls and floors : 50mm dia nominal bore. 'B' Class	22.60	Mtr.	401.00	9062.60	
32	3.19	P&F rigid PVC Pipe (IS:4985 mark) class II(4 Kg. /Cm.) approved quality /make including joining the pipe with solvent cement rubber ring and lubricant 63mm dia	127.70	Mtr.	135.00	17239.50	
33	2.29	PE-AL-PE Composite pressure pipes and fittings. Providing and fixing polyethylene Aluminium Polyethylene (PE-AL-PE) Composite Pressure Pipes U.V. stablised with carbon black conforming to ASTMF – 1282 – 1995 for water supply including clamps at one metre spacing cutting and making good the walls etc. (Internal work) Exposed on Walls (a) 1216 (16 mm OD) pipe	115.00	Mtr.	101.00	11615.00	
34		(b) 2025 (25 mm OD) pipe	101.34	Mtr.	278.00	28172.52	
35	1.57	P&F Shower arm 15mm dia of approved quality/ make. C.P. brass heavy & superior quality 150mm projection.	1.00	Nos.	146.00	146.00	
36	1.51	P&F Grating of approved quality/ make Stainless steel sheet size 150mm dia	19.00	Nos.	81.00	1539.00	
37	3.20	P&F rigid PVC pipe fittings (IS: 4985 mark) of approved quality /make including joining the pipe with solvent cement rubber ring and lubricant: 75mm dia. (a) Plain Tee	4.00	Nos.	116.00	464.00	
38		(b) Bend 45	4.00	Nos.	81.00	324.00	
39		(c) Vent Cowel	1.00	Nos.	45.00	45.00	
40		(d) Reducer 110x75mm	1.00	Nos.	90.00	90.00	
41	8.51	Providing and fixing nickel plated M.S. pipe curtain rods with nickel plated brackets 25 mm dia (Heavy type)	96.75	Mtr.	92.00	8901.00	
42	3.19	P&F rigid PVC Pipe (IS:4985 mark) class II(4 Kg. /Cm.) approved quality /make including joining the pipe with solvent cement rubber ring and lubricant 160mm dia	6.00	Mtr.	323.00	1938.00	

43	10.43	Providing and Fixing at all height all false ceiling of 12.5 mm thick tapered edge Gypsum board conforming to IS : 2095 including providing and fixing of frame work made of special section power pressed from M.S. sheet and galvanized in accordance with zine coating 600 as per IS : 277 and consisting of angle cleats of thick 25 mm wide x 16 mm thick with flanges of 22 mm and 37 mm at 1200 mm center to center one flange fixed to the ceiling with dash fastner 12.5 mm dia x 40 mm long with 6 mm dia bolts to the hangers of 25x25x5mm of required length, and other end of angle hanger being fixed with nut and bolts to G.I. channels 45 mm x 15 mm x 0.9 mm running at the rate of 1200 mm center to center to which the ceiling section 0.5 mm thick bottom wedge of 80 mm with tapered flanges of 26 mm each having clips of 10.5 mm at 450 mm center to center shall be fixed in a direction perpendicular to G.I. channel with connecting clips made out of 2.64mm dia x 230mm long	33.99	Sqm.	824.00	28007.76	
		G.I. wire at every junction including fixing the gypsum board with ceiling section and perimeter channels 0.5mm thick 27 mm high having flanges of 20 mm and 30 mm long, the perimeter of ceiling fixed to wall / partition with the help of rawl plugs at 450 mm center to center with 25 mm long drive-all screws @ 230mm interval including jointing and fixing to a flush finish of tapered and square edges of gypsum board with recommended filler paper tapes, finisher and two coats of primer suitable for gypsum board as per manufactures specifications and also including the cost of making openings for light fittings, grills, diffusers, cutouts made with frame of perimeter channels suitably fixed all complete as per drawing and specifications and direction of the Engineer-in-charge but the excluding the cost of painting.					
44	1.41	P & F kitchen & Lab Sink of approved make with C.I. brackets duly painted, 40 mm C.P. waste coupling, C.P. Brass chain with rubber plug, 40 mm G.I. waste pipe up to floor level complete including cutting and making good the wall & floor IS 771 (Part-II) -1985. 1.0mm thick salem stainless steel AISI -304 kitchen sink of approved make (Nirali, Neel-Kanth, Jaina, Faber, Cryistal) with large waste coupling. Overall size (inches) Bowl size (inches) Size 18x16x6 16x14x6	1.00	Nos.	2590.00	2590.00	
45	2.15	P & F Full-way valve (IS:778 Mark) or wheel valve of approved make : Gun-metal 40 mm nominal bore.	1.00	Nos.	762.00	762.00	
46	8.31	Providing and fixing flat pressed 3 layer particle board in shelves with screws and wooden brackets 19 mm thick.	3.64	Sqm.	706.00	2569.84	
47	10.45	Single country tiles roofing including hips & ridges complete over wooden batten or bamboos.	19.10	Sqm.	194.00	3705.40	

48	10.46	Add extra over item No. 10.45 if Mangalore tiles are used in place of country tiles	19.10	Sqm	83.00	1585.30	
49	E180100	P & F of 4 star rated vertical storage water heater with outer casing made of M.S.sheet finished with anti corrosive powder coating,inner tank made of pure electrolytic copper/stainless steel / SPHP. Tubular copper sheathed and Nickel plated heating element/ twin ceremic cartridge heating element, stem type thermostat and thermal cut out, Dual indicating lamps for power supply and thermostat,PUF insulation, Pressure relase valve,fusible plug etc. as required held in position with 4 no. rack bolts,duly wired with 3 core 2.5/4.0 Sqmm PVC insulated & sheathed copper conductor and 16 A/25A three pin plug top,including making inlet,outlet heavy gauge C.P./ Flexible alloy connection,testing etc. as required. 15 Ltr.	[illegible]	Nos.	[illegible]	[illegible]	
50	E180200	P & F ISI marked (IS:2082) Horizontal storage water heater with outer casing made of M.S.sheet finished with anti-corrosive powder coating,inner tank made of pure electrolytic copper/stainless steel , Tubular copper sheathed and Nickel plated heating element/ twin ceremic cartridge heating element, stem type thermostat and thermal cut out,Dual indicating lamps for power supply and thermostat,PUF insulation, Pressure relase valve,fusible plug etc. as required held in position with 4 no. rack bolts,duly wired with 3 core 2.5/4.0 Sqmm PVC insulated & sheathed copper conductor and 16 A/25A three pin plug top,including making inlet,outlet heavy gauge C.P. connection,testing etc. as required. 10 Ltr.	1.00	Nos.	6365.50	6365.50	
51	16.1	Providing and fixing vertical blinds, made out of non woven polyester fabric 85 to 90mm wide of approved shade & design with power coated aluminium channel minium 1"x1" system incl. cording set etc. complete as per specification & direction of engineer in charge.	5.28	Sqm.	1997.00	10544.16	
52	8.6.1	Providing and fixing fully paneled double leaf shutter for doors as per approved design and drawing with approved ordinary C.P./oxidized steel fittings as per Annexure – A' and width of styles & top rails of 100mm and lock rails width of 150mm and bottom rails of 200mm width including teak wood beading of size 19mmx12mm on both faces complete IS 1003 (Part-I) 2003 : 25 mm thick Nigeria teak wood grade - I Wood grade-I panels	18.09	Sqm.	2743.00	49620.87	
53	11.42	Add extra for mirror polishing on terrazzo / mosaic flooring : Old surface	395.06	Sqm.	78.00	30814.68	
54	7.1	Extra for providing edge moulding to 18 mm thick marble stone counters, vantities etc. over item No. 7.1 & 7.2 including machine polishing to edge to give high gloss finish etc. complete as per design approved by Engineer-in-Charge. Marble work	3.29	Mtr.	164.00	539.56	

310

55	7.1	Extra for providing edge moulding to 18 mm thick marble stone counters, vantities etc. over item No. 7.1 & 7.2 including machine polishing to edge to give high gloss finish etc. complete as per design approved by Engineer-in-Charge. Granite work.	8.40	Mtr.	253.00	2125.20	
56	6.29	Supplying and fixing ashlar solid block pillars fully fine (3 lines) dressed Soorsagar or eqvt. White Ashlar	0.93	Cum.	27712.00	25772.16	
57	8.2	Providing and fixing, flush door shutters non decorative type (hollow core construction) with internal frame of Ist grade wood having styles and top rails of 100 mm width & bottom and lock rails of 150 mm width with 3 Nos. cross battens of 50 mm thick width using 4 mm thick commercial ply on both faces of shutters & 6 mm thick beading of respective wood using with approved steel fitting as per Annexure 'A' IS 2191 (Part I & II) 1983:- 25 mm thick. Nigeria teak wood grade – I	4.44	Sqm.	2222.00	9865.68	
58	2.32.11	Providing and fixing Sperior quality (Jaquar Continental/ Clarion) CP Brass fittings Complete as per direction of Engineer Incharge Single lever wash basin mixer with 450 mm long copper connection pipe	5.00	Nos.	2750.00	13750.00	
59	2.32.18	Providing and fixing Sperior quality (Jaquar Continental/ Clarion) CP Brass fittings Complete as per direction of Engineer Incharge 190 mm rain shower square	1.00	Nos.	4417.00	4417.00	
60	2.32.21	Providing and fixing Sperior quality (Jaquar Continental/ Clarion) CP Brass fittings Complete as per direction of Engineer Incharge Hand shower with [illegible] long PVC tube & wall [illegible] complete	1.00	Nos.	1683.00	1683.00	
61	1.1	P & T Squatting Pan (Indian type) white glazed vitreous China Ist quality W.C. Pan (IS 2556 Mark) with 100 mm vitreous china P or S trap including cutting and making good the wall and floor (excluding the pair of foot rest). Size 580 mm.	[illegible]	Nos.	[illegible]	[illegible]	
Total Part-G						**855263.19**	
Less T.P. 10.86% Below						**-92881.58**	
Total Part-G						**762381.61**	
Schedule-H							
1	App Rate	Providing & Laying superior quality Australian grass in lawn area including cutting, fixing & watering but excluding good earth and goat dung manure as per direction of Engineer Incharge with maintenance for 4 months	368.15	Sqm.	808.00	297465.20	

2	App Rate	Providing & fixing of Bamboos garden fencing which is having specification as per below - (a) For verticle support up to 50mm dia size Ballies which height from G.L. upto 1.22mm & below G.L. upto 0.45,, @ 1.40mm c/c (b) For 3 horizontal support using upto 40mm dia size Bamboo which fixed on verticle support available Ballies by binding wire & nail as per required. (c) for pannel prepared as under. i) upto 25mm wide Bamboo Patti upto 1.22mm height as a verticle part & continous & upto 40mm dia semicirculars Bamboo piece as horizontal part four line as reqd. spacing/ Ii) Bamboo patties & semiciruclars Bamboo pieces linked by wire. (D) Prepared pannel fixed already prepared support by binding wire & nails as per reqd.	51.67	Sqm	1237.40	63936.46	
3	App Rate	Supply and fixing C-channel of size 40 x 25mm for sliding alluminium door including bearing/roller. Complete in all respect.	9.99	Mtr.	800.00	7992.00	
4	App Rate	P & F Wash basin Pedastal (Ist quality) of approved make including cutting & making good the floor.	6.00	Nos.	1309.00	7854.00	
5	App Rate	P&F whie vitreous china double syphonic european WC (IS : 2556 Mark) with mounted WVC flushing cistern of (IS: 2556 Mark) of 10 litre capacity complete with all necessary internal fitting incl. cutting and making good the wall and floor. Brand Cera model claylon of size 660x365x765mm	1.00	Nos.	18370.00	18370.00	
Total Part-H						395617.66	
Total Part-G+H						1157999.27	

19.40%

अतः उक्त इस अनुबंध के तहत करवाया गये अधिक कार्य स्वीकृति प्रकरण कार्यकारी समिति मे निणयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ परीक्षण कर स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: मण्डलनाथ आवसीय योजना में सडक निर्माण कार्य (अनुबन्ध सं F38(03)2015-16 में लम्बित भुगतान के क्रम में। JDA/FTS / 15975

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उतर के द्वारा अनुबंध संख्या एफ 38 (03)2015–16 के तहत मण्डलनाथ आवासीय योजना में WBM सडक निर्माण कार्य हेतु मैसर्स जगदीश सिंह गोपीकिशन पंवार को कार्यादेश राशि रूपये 4985424/– का दिया गया था जबकि वास्तविक रूप में कार्यादेश रूपये 3985424/– का दिया जाना चाहिए था। कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 60.50 लाख की जारी की गई थी जिसे

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.01.2016 में संशोधित करके 97.10 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई। संवेदक को संशोधित कार्यादेश राशि रूपये 90.50 लाख का प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। संवेदक द्वारा अंतिम रूप से कुल कार्य राशि रूपये 8589745/– का संपन्न किया गया जबकि संवेदक को कुल भुगतान 7478136/– का किया गया शेष राशि 1111609/– Withheld की गई क्योकि RTPP नियमो के अनुसार कार्यादेश के 50 प्रतिशत अधिक तक ही कार्य करवाया जा सकता है। उक्त गणना कार्यादेश राशि 4985424/– से की गई है जबकि वास्तविक रूप से कार्यादेश 3985424/– का ही जारी होना चाहिए था। चुँकि कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति के द्वारा जारी की गई है एवं संवेदक की राशि रूपये 1111609/– विभाग की ओर बकाया है। अतः लम्बित भुगतान के सम्बंध में निर्णय लिये जाने बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ परीक्षण कर स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में आर.टी.पी.पी. के प्रावधानों के प्रकाश में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) को उनके कारपोरेट ऑफिस व टाउनशिप के लिए भूमि चिन्हित कर आवंटित करने के संबंध में। JDA/FTS/ 92901

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पचपदरा में महत्वकांक्षी रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। इस हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जोधपुर में कारपोरेट ऑफिस की स्थापना व टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि की मांग की है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा भूमियों का चिन्हीकरण करवाया गया है। जो भूमियां टाउनशिप विकसित करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को आवंटित की जा सकती है:-

क्र.सं.	स्थान का संक्षिप्त विवरण	उपलब्ध भूमि का रकबा
1–	ग्राम तनावडा खसरा संख्या 189	65 बीघा 2 बिस्वा
2–	ग्राम चौखा रामराज नगर योजना के पास खसरा संख्या 72	700 बीघा
3–	ग्राम ढण्ढ खसरा संख्या 3 नवदुर्गा कॉलोनी के पास	10.12 बीघा (20,497 वर्ग गज)

इसी प्रकार कारपोरेट कार्यालय हेतु पाली रोड पर शताब्दी सर्कल के पास विवेक विहार योजना सेक्टर ए में स्थित व्यवसायिक भूमि (कुल रकबा 14.18 बीघा) में से भूमि की मांग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर भूमि नियमानुसार आवंटित की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों निर्धारण हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा इस क्षैत्र की आवंटन दर 15,730/– रूपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त समस्त भूमियां हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों/प्रतिनिधि को मौका निरीक्षण करवाने के पश्चात् हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों/प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त भूमियों में से चयनित भूमि में से उनके द्वारा

भूमि की मांग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर भूमि नियमानुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को कारपोरेट कार्यालय एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास हेतु टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को कारपोरेट कार्यालय एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास हेतु टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी/सक्षम प्रतिनिधि द्वारा चिन्हित/आवेदित करने पर भूमि आवंटित हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी में दर आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को आवंटन हेतु भूमि चिन्हिकरण बाबत कार्यकारी समिति की बैठक द्वारा लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए पत्र की प्रतिलिपि जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को भी प्रेषित की जावे तथा भूमि चिन्हिकरण किये जाने पर तद्नुसार प्रकरण में भूमि आवंटन की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: होमगार्ड के सदस्यों की सेवा अवधि बढ़ाने बाबत्। JDA/FTS/10778

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाता है। उक्त कार्य में मौके पर शान्ति व्यवस्था तथा सहयोग कायम रखने के लिए होमगार्ड्स की सेवाएं पिछले कई वर्षों से ली जा रही है। वर्तमान में प्राधिकरण में 30 होमगार्ड्स की सेवाएं ली राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ली जा रही है। इन होमगार्ड्स की समयावधि दिनांक 31 मई, 2019 को समाप्त होने जा रही है। चूंकि अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण रोकने आदि का कार्य सतत् प्रकिया के तहत निरन्तर चलता रहता है। अतः इन होमगार्ड्स की अवधि कम से कम दो वर्ष के लिए बढ़ायी जानी उचित होगी। अतः इन होमगार्ड्स की समयावधि आगामी दो वर्ष अर्थात् 31 मई, 2021 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार बढ़ाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तुत में।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार होमगार्ड्स की समयावधि आगामी दो वर्ष अर्थात् 31 मई, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: श्री मानवेन्द्र चौधरी को अधिवक्ता लॉटरी में आवंटित भूखण्ड के एवजमें अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु योजना का नाम:– रामराज नगर योजना, नाम :–श्री मानवेन्द्र सिंह आवंटित भूखण्ड सं.:– 38 सेक्टर 1 कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफल:– 148.64 वर्गमीटर आवंटन तिथी :– 22.2.2018 JDA/FTS / 10839

प्रार्थी को रामराज नगर योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 38 सेक्टर 1 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 148.64 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 60 फीट है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे आवंटित भूखण्ड गहरे गढ्डे में स्थित है जिसकी मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने पर कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड 10 से 12 फीट आधे हिस्से में तथा 15 से 18 फीट रोड लाईन के नीचे गढ्ढे में होना दर्शाया है।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र भूखण्ड का आकार 25x64 अर्थात् 148.64 वर्गमीटर से आवंटन पत्र जारी किया गया जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का वास्तविक माप 31.6 34.6/2ग64त्र 196.79 वर्गमीटर होता है जिसके अनुसार कीमत राशि जमा होनी थी। प्रार्थी को जारी किये गये आवंटन पत्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 148.64 वर्गमीटर तथा कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का वास्तविक माप 196.79 वर्गमीटर का अंतर क्षेत्रफल 48.15 का डिमाण्ड राशि 5,65,013/- रूप्ये जमा कराने हेतु प्रार्थी को प्रेषित किया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा उपरोक्त राशि जमा नही करा कर इसी योजना में अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। भूखण्ड की साइज अलग-अलग इसलिये है कि आवंटन पत्र में भूखण्ड की साइज अलग है तथा कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का माप अलग दर्शाया गया था इसलिये भूखण्ड की साइज अलग-अलग दर्शायी गयी थी।

प्रार्थी को इसी योजना के कॉर्नर भूखण्डों की सूची प्रेषित करने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 23 सेक्टर 1 रामराज नगर का आवंटन करने की मांग की है। भूखण्ड सं. 23 का माप 30x64=178.96 वर्गमीटर है तथा उक्त भूखण्ड के सडक की चौडाई 60 फीट है।

अतः प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 23 सेक्टर 1 रामराज नगर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यथासंभव समान आकार/क्षैत्रफल व समान चोडी सडक पर अन्य भूखण्ड दिया जावे। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो भूखण्ड संख्या 148 आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री अभिषेक बडगुर्जर पुत्र स्व. श्री देवी सिंह बडगुर्जर भूखण्ड संख्या 347 सेक्टर-01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर अधिक जमा राशि रिफण्ड करने के संबंध में। JDA/FTS / 10840

प्रार्थी श्री देवी सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह को पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी दिनांक 08.03.1995 को भूखण्ड संख्या डी-14 पूर्वी पाल रोड येाजना में आवंटन किया गया था । जिसका लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 09.06.1995 को जारी किया गया। प्रार्थी को भौतिक कब्जा देते वक्त खसरा विवाद न्यायालय में वाद 158/2017 लम्बित होने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया । कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 54 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी की सहमति के आधार पर रामराज नगर चौखा में भूखण्ड संख्या 347 सेक्टर-1, का आवंटन पत्र दिनांक 14.12.2018 को श्री अभिषेक बड गूजर पुत्र स्व. श्री देवी सिंह के नाम 30×69=192.30 वर्गमीटर का आरक्षित दर 6534/- वर्गमीटर से राशि रूपये 12,56,488/- का जारी किया गया । जो पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी-14 पूर्वी पाल रोड क्षैत्रफल 250 वर्गमीटर का आवंटन पत्र जारी किया गया। जिसकी राशि रूपये 46,000/- प्रार्थी द्वारा रसीद संख्या 423/86 दिनांक 29.05.1995 के जरिये जमा करा दिये गये । आवंटन पत्र दिनांक 14.12.2018 को जारी अनुसार आरक्षित दर 6534/- वर्गमीटर से

३१७

250 वर्गमीटर की राशि रूपये 15,58,000/- व मानसरोवर नगर योजना [illegible] की आरक्षित दर 6534/- वर्गमीटर से क्षेत्रफल 192.30 वर्गमीटर की राशि रूपये 12,56,[illegible]/- जमा योग्य बताये गये । पैरा नं. 74 में सचिव महोदय द्वारा की गई गणना अनुसार प्रार्थी का मात्र रूपये 10,616/- अधिक जमा राशि लौटाने का उल्लेख किया गया है । जबकि प्रार्थी को जारी आवंटन पत्र क्रमांक 2965 दिनांक 14.12.2018 के अनुसार प्रार्थी की अधिक जमा राशि रूपये 3,01,512/- का उल्लेख किया गया है । अतः प्रकरण में कौन सी अधिक जमा राशि का रिफण्ड किया जावें । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

<u>निर्णय</u>

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी। आवेदक द्वारा जमा राशि से भी अधिक लौटाया जाना उचित नहीं है। अतः पूर्व की रिजर्व दर में कम क्षैत्रफल की राशि की गणना कर शेष राशि लौटाया जाना उचित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अधिक जमा राशि रूपये 10,616/- लौटाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: भूखण्ड संख्या बी 756 आनंद विहार योजना अनुराधा/गजेसिंह। JDA/FTS / 10942

प्रार्थीनी अनुराधा/गजेसिंह द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना आनंद विहार योजना में आवेदन कमांक 599 का आवेदन भूखण्ड आवंटन हेतु किया हैं। प्रार्थीनी द्वारा धरोहर राशि 5000/- रू जमा कराए है।

प्रार्थीनी का आवेदन लॉटरी मे सम्मिलित करते हुए प्रार्थीनी को लॉटरी द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में भूखण्ड संख्या बी 756 आवंटन हुआ। आवंटन पश्चात् प्रार्थीनी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर प्राधिकरण पत्रांक 3160 दिनांक 9.1.2019 को पत्र प्रषित किया गया था जिसके संबंध में प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र में राज्य के पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। आनंद विहार की पुस्तिका के बिंदु संख्या 22 (7) के अनुसार गलत आरक्षित वर्ग में टिक करने पर तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थीनी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। आवेदन पत्र का निरस्तीकरण किसी भी स्टेज पर अथवा आवेदन के पश्चात् भी किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रकरण में विधी शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की गयी। विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी के आवेदन पत्र के बिंदु संख्या 12 में संलग्न दस्तावेजो की सूची में प्रविष्टि संख्या 4 में मूल रूप से अनु. जाति व अनु. जनजाति प्रमाण पत्र के कॉलम में कॉस किया हुआ है तथा बाद में काटकर टिक का निशान किया हुआ है। कुल संलग्न दस्तावेंजो की संख्या भी पहले (3) लिखकर बाद में कोष्ठक में 4 की हुयी है। आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र के साथ अन्य पिछडा वर्ग (रावणा राजपूत) का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र (पृष्ठ 6) में भी आवेदिका ने स्वयं की जाति राजपूत लिखी है।

अतः उपयुक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यदि आवेदिका को अनु. जाति के रूप में करीकार करने से यदि आवेदिका को अंडर एडवान्टेज नही हुआ हो तथा प्राधिकरण के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पडा है तो आवेदिका का आवंटन बहाल रखा जा सकता है। उपरोक्त विधी शाखा ने राय प्रस्तुत की है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में आवेदिका को आवंटन पत्र जारी किया जावें अथवा नहीं, का प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का विधिक परीक्षण करवाकर प्रकरण आगामी बैठक में वास्ते निर्णय प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री जेठाराम पुत्र श्री रतनाराम भूखण्ड संख्या 122 सेक्टर–ए, झरणा विहार योजना ग्राम बडली जोधपुर का आवंटन पत्र अनुसार ब्याज/शास्ती सहित राशि जमा करने बाबत् ।

प्रार्थी जेठाराम पुत्र श्री रतनाराम को लॉटरी दिनांक 12.08.2016 के जरिये भूखण्ड संख्या 122 सेक्टर–ए, झरणा विहार योजना ग्राम बडली जोधपुर में आवंटित किया गया । जिसका आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/DC (W)/झरणा विहार/2016/623 दिनांक 02.10.2016 को जावक शाखा को दिनांक 21.10.2016 को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा प्रार्थी के स्थाई पते पर भेजा गया । परन्तु उक्त आवंटन पत्र अदम तामील मूल ही वापस विभाग को दिनांक 30.10.2016 को प्राप्त हुआ है । प्रार्थी का कथन है कि मुझे आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । आवंटन पत्र को जारी हुए लगभग 2 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है । प्रार्थी द्वारा अब आवंटन पत्र जारी करने की मांग की है । ऐसी स्थिति में आवंटन पत्र जारी किया जावे या नहीं ! अब दुबारा आवंटन पत्र जारी किया जावे तो आवंटी ब्याज व शास्ती जमा नहीं करवायेगा । विधि शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पेज न 26 के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस पश्चात् भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जाता है । [illegible] निरस्तीकरण का निरसन किया जा सकता है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ब्याज/शास्ती सहित राशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में विचार मिवर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्ताव में तथ्य गलत अंकित किये गये है। अतः प्रकरण की जांच कर सही तथ्यों के साथ प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल माथुर भूखण्ड संख्या 345 सेक्टर–01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर अधिक जमा राशि का रिफण्ड करने के सबंध में। JDA/FTS/59815

प्रार्थी श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल माथुर को पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी दिनांक 04.08.1989 को भूखण्ड संख्या 05, सेक्टर–ए, पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटन किया गया था । जिसका क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर था । जिसका लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 03.08.1991 को जारी किया गया। प्रार्थी को भौतिक कब्जा देते वक्त खसरा नं. 740/996 में विवाद होने के कारण न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया । आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेक विहार योजना, रामराज नगर योजना व विजयाराजे नगर योजना में भूखण्ड दिलाने की मांग करने पर प्रकरण कार्यवाही समिति की बैठक दिनांक 27.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 55 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी की सहमति के आधार पर रामराज नगर चौखा में भूखण्ड संख्या 345 सेक्टर–1, का आवंटन पत्र दिनांक 05.11.2018 को श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल माथुर के नाम

30×69=192.30 वर्गमीटर का आरक्षित दर 6534/- वर्गमीटर से राशि रूपये 12,56,488/— का जारी किया गया । जो पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 05, सेक्टर—ए, पूर्वी पाल रोड क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन पत्र जारी किया गया । जिसकी राशि रूपये 51,433/— प्रार्थी द्वारा जमा करा दिये गये । आवंटन पत्र दिनांक 14.12.2018 को आरक्षित दर 6534/— वर्गमीटर से 252 वर्गमीटर की राशि रूपये 15,58,000/— व रामराज नगर योजना चौखा की आरक्षित दर 6534/— वर्गमीटर से क्षैत्रफल 192.30 वर्गमीटर की राशि रूपये 12,56,488/— जमा योग्ये बताये गये । पैरा नं. 52 में आई. आर. ए. की गणना अनुसार प्रार्थी को मात्र रूपये 12,185/— अधिक जमा राशि लौटाने का उल्लेख किया है । जबकि प्रार्थी को जारी आवंटन पत्र क्रमांक 2949 दिनांक 05.11.2018 के अनुसार प्रार्थी को अधिक जमा राशि रूपये 3,13,976/— का उल्लेख किया गया है । अतः प्रकरण में कौन सी अधिक जमा राशि का रिफण्ड किया जावें ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी। आवेदक द्वारा जमा राशि से भी अधिक लौटाया जाना उचित नहीं है। अतः पूर्व की रिजर्व दर में कम क्षैत्रफल की राशि की गणना कर शेष राशि लौटाया जाना उचित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अधिक जमा राशि रूपये 12,185/— लौटाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: शास्त्री सर्किल के उपयोग हेतु शुल्क तय किये जाने बाबत् ।
JDA/FTS/89514

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शास्त्री सर्किल को विभिन्न संस्थाओ द्वारा निशुल्क समय—समय पर विभिन्न आयोजनो हेतु काम मे लिया जाता है। शास्त्री सर्किल मे विभिन्न आयोजनो हेतु शुल्क तय किया जाने हेतु आयुक्त महोदय के पत्रावली के पैरा सं. एन—66 के तहत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मे रखे जाने का निर्णय लिया जाना है।

अतः शास्त्री सर्किल मे विभिन्न आयोजनो के लिये शुल्क लिया जाना है या नही और यदि शुल्क लिया जाना है तो कितना शुल्क प्रतिदिन लिया जावें उसकी स्वीकृति कार्यकारी समितिमे ली जानी आवश्यक है। अतः कार्यकारी समिति में उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा संचालित शास्त्री सर्कल को विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न आयोजनों हेतु आवंटन/दिये जाने हेतु दरें प्रस्तावित करने हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया:--

1— उपायुक्त—दक्षिण — संयोजक
2 मुख्य लेखाधिकारी—प्रथम — सदस्य
3— अधिशाषी अभियन्ता दक्षिण — सदस्य सचिव

उक्त समिति को शास्त्री सर्किल को विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा विभिन्न आयोजनों हेतु सशुल्क आवंटन हेतु दर का प्रस्ताव आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: **श्री रेवत राम को आनंद विहार योजना में अनुसूचित जाति के वर्ग में भूखण्ड आवंटन हुआ है जिसका संशोधन अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में करने बाबत्।**
योजना का नामः– आनंद विहार आवासीय योजना
नाम :– श्री रेवत राम आवंटित भूखण्ड सं.:– 297 सेक्टर :– बी
भूखण्ड का क्षेत्रफलः– 72 वर्गमीटर आवंटन तिथी :– 5.10.2018
JDA/FTS / 24139

प्रार्थी को आनंद विहार योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 297 सेक्टर बी का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 12 मीटर है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेंने आवेदन अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आवेदन किया था जबकि लॉटरी में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आवंटन हुआ जिसके अनुसार भूखण्ड सं. बी 297 का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे आवंटन पत्र में अनुसूचित जाति की श्रेणी को संशोधित कर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी करने की मांग की है।

प्रार्थी को भूखण्ड का आकार 6x12 मीटर में आवेदन किया है जिसमें लॉटरी द्वारा 200 भूखण्ड लॉटरी निम्नानुसार की गयी है।

1 राज्य कर्मचारी हेतु 18 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित तथा 37 भूखण्ड आरक्षित थे। अन्य वर्ग हेतु दो
प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।
2 सैनिक– इस वर्ग हेतु 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित है जिसके अनुसार 20 भूखण्डों की लॉटरी की
गयी है एवं तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।
3 अनुसूचित जाति– उक्त वर्ग हेतु 9 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित तथा 18 भूखण्ड का आवंटन किया
गया तथा 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये।
4 अनुसूचित जनजाति– उक्त वर्ग हेतु 6 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित एवं 12 भूखण्ड लॉटरी हेतु
आरक्षित आवंटन किये गये तथा 1 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श चूंकि अनुसूचित जनजाति के 11 भूखण्ड आवेदनों के अभाव में आवंटन से रह गये है तथा प्रार्थी ने सही कॉलम में निशान लगाया था तथा प्राधिकरण स्तर की लिपिकीय त्रुटि से ही अनुसूचित जाति में लॉटरी में भूखण्ड आवंटित हुआ है। अतः सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्री रेवतराम को आवंटित प्लाट यथावत् रखने का निर्णय लिया गया। इसी अनुरूप आवंटित भूखण्डों की श्रेणियों में संशोधन कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: **प्रस्तावः– भूखण्ड संख्या बी 552 आनंद विहार योजना ग्राम मोकलावास श्री सिद्वराज सिंह के आवंटन पत्र एवं रिफण्ड करने के सम्बन्ध में।**
योजना का नामः– आनंद विहार आवासीय योजना
नाम :– श्री सिद्वराज सिंह

आवंटित भूखण्ड सं.:– 552
सेक्टर :– बी
भूखण्ड का क्षेत्रफल:– 40.5 वर्गमीटर
आवंटन तिथी:– 5.10.2018

विवरण:– प्रार्थी को आनंद विहार योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 552 सेक्टर बी का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 9 मीटर है।

प्रार्थी श्री सिद्वराज सिंह द्वारा आनंद विहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कमांक 10029 भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी द्वारा धरोहर राशि 5000/– रु जमा कराये थे। ऑनलाइन आवेदन की जांच कर आवेदन लॉटरी में सम्मिलित किये गये। लॉटरी दिनांक 5.10. 2018 को प्रार्थी को भूखण्ड संख्या बी 552 आनंद विहार योजना में आवंटन हुआ। लॉटरी में आवंटन होने के पश्चात प्रार्थी को कमी पूर्ति हेतु पत्र जारी किया गया था।

प्रार्थी द्वारा कमी पूर्ति पत्र के जवाब में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड सं. 170 आवंटन हुआ है तथा मेरे द्वारा आनंद विहार योजना मे आवेदन किया उसे निरस्त कर मेरे जमा धरोहर राशि का रिफण्ड किया जावें जिस पर विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में भूखण्ड सं. 170 का मांग पत्र 6.12.2017 को जारी किया गया तथा 18.1.2018 को उक्त भूखण्ड की लीजडीड भी जारी की गयी थी तथा आनंद विहार की पुस्तिका में उपरोक्त परिस्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नही दिया गया है फिर भी प्रार्थी को नियमानुसार रिफण्ड देने हेतु अपनी राय प्रस्तुत की जो पत्रावली पैरा सं. 37 में प्रस्तुत है। निदेशक विधी की राय अनुसार उपरोक्त प्रकरण को ईसी बैठक में रखने हेतु प्रस्तावित किया है ताकि इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में अन्य योजना में लागु नही होवें।

पत्रावली में सचिव महोदय के निर्देशानुसार एक ही परिवार के अधिक व्यक्ति आवंटन करने हेतु अपनायी गयी प्रकिया निम्नानुसार है।

एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुये सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।

यदि आवेदक स्वयं, पत्नी पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किऐ जाते है एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदको के भूखण्ड आवंटन नही किये जाएगें व जमा राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राषि लौटा दी जाएगी। आवंटी जिस सदस्य का भूखण्ड आप रखना चाहते है उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करानी होगी एवं एक ही भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र भी देना होगा।

अतः प्रकरण निदेशक विधी की राय अनुसार ईसी बैठक में निर्णयाथ हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।"

निर्णय

प्रार्थी ने अपने दूसरे आवेदन की लॉटरी खुलने से 7 दिवस पूर्व अपना आवेदन वापस नहीं लिया तथा प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन की सूचना देने पर ही प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो उचित नहीं है। अतः बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में जमा राशि को जब्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: श्री आ. खालिद भूखण्ड स. 01 न्यु बकरा मण्डी का अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध मे।
योजना का नाम:– न्यू बकरा मंडी चौखा नाम :– श्री आ. खालिद

आवंटित भूखण्ड सं.:— 1 कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफल:— 116.12 वर्गमीटर आवंटन तिथी :— 25.4.2006 **JDA/FTS / 10988**

प्रार्थी को न्यू बकरा मंडी चौखा योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 1 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूखण्ड संख्या 1 कॉर्नर न्यू बकरा मंडी में आवंटित भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त योजना का सडक मार्गाधिकार 200 फीट होने से सडक में विलिन हो गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया कि उक्त भूखण्ड कॉर्नर है जबकि इस योजना के मानचित्र अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर है तथा मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार होने से आवंटित भूखण्ड सडक में विलिन होने के कारण इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 में से एक भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त योजना में न्यू बकरा मंडी की जमीअतुल कुरेश जोधपुर सोसायटी के जनरल सेकेट्री अब्दुल साजिद कुरैशी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड यहां पर गुजर रही पाइप लाईन से प्रभावित है। उन भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट करने की मांग की है जिसके अनुसार प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.5.2011 को निर्णय लेकर न्यू बकरा मंडी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में मानचित्र को संशोधित करते हुए दिनांक 24.5.2011 को न्यू बकरा मंडी में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट किये गये है।

अतः प्रार्थी न्यू बकरा मंडी योजना में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 का शिफ्ट अपने भूखण्ड के एवज मे करने की मांग की है जबकि भूखण्ड संख्या 16, 17 व 18 दिनांक 24.5.2011 के अनुसार उन आवंटियों को इसी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित होने से आवंटित किये गये है। भूखड सं. 16, 17, 18 की सडक की चौडाई 40 फीट है।

पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाया है कि भूखण्ड सं. 16, 17, 18 में पाइप लाईन का प्रभाव नही होना दर्शाया है केवल भूखण्ड सं. 15 में आंशिक भाग होना दर्शाया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान प्रभारी अधिकारी आवंटन (उपायुक्त—पश्चिम) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के नीचे प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के नीचे पाईप लाईन नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन की मांग की है। अतः विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल पूर्व आवंटी की अनापत्ति हेतु घोषणा पत्र के रूप में प्राप्त कर उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: श्री मो. निसार भूखण्ड सं. 04 न्यु बकरा मण्डी का अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के सम्बंन्ध मे।
योजना का नाम:— न्यू बकरा मंडी चौखा नाम :— श्री मोहम्मद निशार आवंटित भूखण्ड सं.:— 4 भूखण्ड का क्षेत्रफल:— 116.12

ह०

वर्गमीटर आवंटन तिथीः– 25.4.2006 **JDA/FTS / 74398**

प्रार्थी को न्यू बकरा मंडी चौखा योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 4 का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूखण्ड संख्या 4 न्यू बकरा मंडी में आवंटित भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त योजना का सडक मार्गाधिकार 200 फीट होने से सडक में विलिन हो गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया कि उक्त भूखण्ड कॉर्नर है जबकि इस योजना के मानचित्र अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर नही है तथा मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार होने से आवंटित भूखण्ड सडक में विलिन होने के कारण इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 में से एक भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त योजना में न्यू बकरा मंडी की जमीअतुल कुरेश जोधपुर सोसायटी के जनरल सेकेटरी अब्दुल खालिद कुरेशी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड वहा पर गुजर रही पाइप लाईन से प्रभावित है। उन भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट करने की मांग की है जिसके अनुसार प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.5.2011 को निर्णय लेकर न्यू बकरा मंडी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डो को इसी योजना में मानचित्र को संशोधित करते हुए दिनांक 24.5.2011 को न्यू बकरा मंडी में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट किये गये है।

अतः प्रार्थी न्यू बकरा मंडी योजना में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 का शिफ्ट अपने भूखण्ड के एवज मे करने की मांग की है जबकि भूखण्ड संख्या 16, 17 व 18 दिनांक 24.5.2011 के अनुसार उन आवंटियों को इसी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित होने से आवंटित किये गये है। भूखड सं. 16, 17, 18 की सडक की चौडाई 40 फीट है।

पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाया है कि भूखण्ड सं. 16, 17, 18 में पाइप लाईन का प्रभाव नही होना दर्शाया है केवल भूखण्ड सं. 15 में आंशिक भाग होना दर्शाया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान प्रभारी अधिकारी आवंटन (उपायुक्त–पश्चिम) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के नीचे प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के नीचे पाईप लाईन नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन की मांग की है। अतः विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल पूर्व आवंटी की अनापत्ति हेतु घोषणा पत्र के रूप में प्राप्त कर उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: श्रीमति छोटी को भूखण्ड सं. 05 न्यू बकरा मण्डी का अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में।

योजना का नामः- न्यू बकरा मंडी चौखा नाम :- श्रीमति छोटी
आवंटित भूखण्ड सं.:- 5 भूखण्ड का क्षेत्रफलः- 116.12 वर्गमीटर
आवंटन तिथीः– 25.4.2006 **JDA/FTS / 10985**

प्रार्थी को न्यू बकरा मंडी चौखा योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 5 का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूखण्ड संख्या 5 न्यू बकरा मंडी में आवंटित भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त योजना का सडक मार्गाधिकार 200 फीट होने से सडक में विलिन हो गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया कि उक्त भूखण्ड कॉर्नर है जबकि इस योजना के मानचित्र अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर नही है तथा मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार होने से आवंटित भूखण्ड सडक में विलिन होने के कारण इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 में से एक भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त योजना में न्यू बकरा मंडी की जमीअतुल कुरेश जोधपुर सोसायटी के जनरल सेकेंटरी अब्दुल खालिद कुरेशी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड [illegible] पर गुजर रही पाइप लाईन से प्रभावित है। उन भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट करने की मांग की है जिसके अनुसार [illegible] दिनांक 19.5.2011 [illegible] न्यू बकरा मंडी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी [illegible] संशोधित करते हुए दिनांक 24.5.2011 को [illegible] मंडी में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट किये गये है।

अतः प्रार्थी न्यू बकरा मंडी योजना में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 का शिफट अपने भूखण्ड के एवज मे करने की मांग की है जबकि भूखण्ड संख्या 16, 17 व 18 दिनांक 24.5.2011 के अनुसार उन आवंटियों को इसी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित होने से आवंटित किये गये है। भूखड सं. 16, 17, 18 की सडक की चौडाई 40 फीट है।

पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाया है कि भूखण्ड सं. 16, 17, 18 में पाइप लाईन का प्रभाव नही होना दर्शाया है केवल भूखण्ड सं. 15 में आंशिक भाग होना दर्शाया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान प्रभारी अधिकारी आवंटन (उपायुक्त–पश्चिम) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के नीचे प्राप्त मोका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के नीचे पाईप लाईन नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन की मांग की है। अतः विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल पूर्व आवंटी की अनापत्ति हेतु घोषणा पत्र के रूप में प्राप्त कर उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: भूखण्ड सं. 216 सेक्टर 2 कॉर्नर श्री कैलाश कुमार को रामराज नगर में समकक्ष भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।

योजना का नामः– रामराज नगर योजना
नाम :– कैलाश कुमार
आवंटित भूखण्ड सं.:– 216 सेक्टर 2 कॉर्नर
भूखण्ड का क्षेत्रफलः– 208.10 वर्गमीटर
आवंटन तिथीः–22.2.2018 JDA/FTS/ 36277

विवरणः— प्रार्थी को रामराज नगर योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 216 सेक्टर 2 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 208.10 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई एक तरफ 60 फीट तथा दूसरी तरफ 40 फीट है।

प्रार्थी श्री कैलाश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में मुझे भूखण्ड सं. 216 सेक्टर 2 रामराज नगर में कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी में आवंटन हुआ था। भूखण्ड सं. 216 सेक्टर 2 का भौतिक सत्यापन करने पर भूखण्ड क्षेत्रफल अधिक होने से प्रार्थी को अधिक क्षेत्रफल का मांग पत्र जारी किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बढा हुआ क्षेत्रफल की राशि जमा कराने में असमर्थ हूं। अतः इसी योजना में रिक्त भूखण्ड का प्रस्ताव प्रार्थी को प्रेषित किया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 181 सेक्टर 2 का आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की गयी है। भूखण्ड सं. 216 सेक्टर 2 रामराज नगर की सडक की चौडाई एक साइड 60 फुट सडक एवं दूसरी तरफ सडक की चौडाई 40 फुट हैं। प्रार्थी द्वारा 181 सेक्टर 2 रामराज नगर का आवंटन हेतु सहमति दी गयी है। अतः भूखण्ड सं. 181 सेक्टर 2 का क्षेत्रफल 172.42 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई दोनो तरफ 40 फुट है।

अतः कार्यकारी समिति बैठक में अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 181 सेक्टर –2 पूर्व आवंटित भूखण्ड के निकटतम समकक्ष मानते हुए प्रार्थी की सहमति के आधार पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्रीमति सरिता मालू को पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं. 370 सेक्टर 1 कॉर्नर रामराज नगर के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।

योजना का नामः— रामराज नगर योजना
नाम :— सरिता मालू
आवंटित भूखण्ड सं.:— 370 सेक्टर 1 कॉर्नर
भूखण्ड का क्षेत्रफलः— 537.43 वर्गमीटर
आवंटन तिथीः—22.2.2018 JDA/FTS/ 33177

विवरणः— प्रार्थीनी को रामराज नगर योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 370 सेक्टर 1 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 537.43 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई एक तरफ 60 फीट तथा दूसरी तरफ 40 फीट है।

प्रार्थीनी श्रीमति सरिता मालू को लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. 370 सेक्टर 1 कॉर्नर का भूखण्ड आवंटन हुआ था। प्रार्थीनी द्वारा लॉटरी में आवंटित भूखण्ड सं. 370 सेक्टर 1 का मौका देखने पर भूखण्ड पर अतिक्रमण कर बस्ती बसी हुई है, का प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय के तकनीकी अधिकारी [illegible] रिपोर्ट देने पर तकनीकी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट में दर्शाया है कि उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं है। उक्त भूखण्ड के स्थान पर अतिक्रमण कर बस्ती बसी हुई है।

प्रार्थीनी द्वारा आवंटित भूखण्ड सं. 370 सेक्टर 1 के एवज में भूखण्ड सं. 87 सेक्टर 3 का आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है। प्रार्थीनी से एक शपथ पत्र लिया गया जिसमें प्रार्थीनी

द्वारा लिखा गया कि भूखण्ड सं. 87 सेक्टर 3 रामराज नगर का नाप 113.80 वर्गमीटर आवंटन किया जाता है तो लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड सं. 370 सेक्टर 1 रामराज नगर बनाप 537.43 वर्गमीटर में से सहमति दी गयी भूखण्ड का क्षेत्रफल कम करने पर 423.63 वर्गमीटर का क्षेत्रफल शेष रहता है जिसका भविष्य में प्लाट आवंटन करने हेतु मांग नही करुंगी। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत सहमति भूखण्ड सं. 87 सेक्टर 3 रामराज नगर कॉर्नर भूखण्ड नही है जिसका क्षेत्रफल 113.80 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि आवेदक आरक्षित दर की 160 प्रतिशत दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का इच्छुक हो तो भूखण्ड आवंटन कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: श्री जेठु सिंह (नेगी) को भूखण्ड सं. 198 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर के एवज मे वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन बाबत्।

योजना का नामः- मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर
नाम :- श्री जेठु सिंह
आवंटित भूखण्ड सं.:- 198 सेक्टर ए
भूखण्ड का क्षेत्रफलः- 167.22 वर्गमीटर
आवंटन तिथीः-25.4.2008 **JDA/FTS/ 11033**

विवरणः- प्रार्थी को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर ए का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी जेठु सिंह को प्राधिकरण आवासीय योजना मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में भूखण्ड सं. 198 सेक्टर ए में लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा करा दी थी तथा भौतिक कब्जा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने पर उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटिस भेजकर लिखा है कि मेरे मुवकील को भूखण्ड सं. 198 सेक्टर ए का कब्जा सुपुर्द करावें अन्यथा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.3.2011 में रखा गया जिस पर निर्णय लिया कि सचिव महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाकर उपरोक्त प्रकरण का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर आगामी प्राधिकरण बैठक में रखा जावें। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में राजस्थान सूचना आयोग में अपील संख्या 3201/11 किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता मंच में भी वाद दायर किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.3.2011 के प्रस्ताव सं. 4(2) के निर्णय की पालना में सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 3.8.2011 एवं 24.8.2011 को की गयी एवं बैठक में निर्णय लिया कि अतिक्रमण से प्रभावित भूखण्डधारियों को इसी योजना में समस्त क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किया जावें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.4.2012 के प्रस्ताव सं. 4(पप) में निर्णय लिया कि तत्कालीन नगर विकास न्यास/ प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किसी भी योजना में भूखण्ड आवंटन किया गया एवं आवंटी द्वारा राशि जमा करा दी हो किन्तु अतिक्रमण या अन्य कारणों से या नही दिया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों में संबंधित आवंटी को यह विकल्प दिया जावें कि राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के इच्छुक हो तो वे अपना विकल्प प्रस्तुत करावें। आवंटी द्वारा सहमति प्रस्तुत की जाने पर राजीव गांधी नगर योजना में वैकल्पिक रूप से भूखण्ड आवंटन किया जावें। भविष्य में शिफ्ट किये गये प्रकरणों में भूखण्ड आवंटन राजीव गांधी नगर योजना में ही किया जावें।

प्राधिकरण बैठक दिनांक 23.4.2012 के प्रस्ताव सं. 4(ii) के निर्णय की पालना में प्रार्थी को राजीव गांधी नगर में रिक्त भूखण्ड आवंटन हेतु पत्रावली उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा उपायुक्त (पश्चिम) को भिजवायी गयी। उपायुक्त पश्चिम द्वारा राजीव गांधी योजना में रिक्त भूखण्ड की रिपोर्ट वसूली (पश्चिम) शाखा से प्राप्त की गयी।

वसुली (पश्चिम) शाखा द्वारा सम्पति रजिस्टर अनुसर राजीव गांधी योजना में सेक्टर ए में भूखण्ड सं. 302 से 365 रिक्त दर्शाया है जिसका माप 9x18 अर्थात् 162.00 वर्गमीटर है।

तत्पश्चात् वसुली (पश्चिम) शाखा द्वारा लिपिक के चार्ज लिस्ट अनुसार राजीव गांधी योजना में से भूखण्ड सं. 101, 106, 108, 252 वर्गमीटर के रिक्त भूखण्ड है तथा सेक्टर बी में 252 वर्गमीटर के निम्न भूखण्ड रिक्त दर्शाया है। 100, 101, 115, 261 व 350 भूखण्ड सं. बी 92, बी 115, बी 116, बी 114 की सडक की चौडाई 18 मीटर है। बी 261, बी 350 की सडक की चौडाई 18 मीटर है।

प्राधिकरण बैठक कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 9.2.15 के प्रस्ताव सं. 4 की पालना में स्टेंडिग कमेटी की बैठक दिनांक 26.10.2015 को आवंटी को बी 350 राजीव गांधी का आवंटन कर आवंटन पत्र जारी किया गया।

प्रार्थीनी श्रीमति बेबी पत्नी जेतु सिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पति श्री जेतु सिंह का स्वर्गवास दिनांक 2.9.2018 को हो गया है। अतः भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण मेरे नाम करने का निवेदन किया है। भूखण्ड सं. बी 350 राजीव गांधी का मौका रिपोर्ट कनिष्ठ अभियंता से मंगवाई जाने पर उक्त भूखण्ड पर अतिकमण दर्शाया है।

अतः अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकरण ईसी बैठक में रखा गया।

तत्कालीन सचिव महोदय तथा आयुक्त महोदय को जिला उपभोक्ता मंच द्वारा व्यक्तिगत न्यायालय में बुलाया गया था। प्रार्थी से अरणा विहार योजना में रिक्त भूखण्डों की सहमति हेतु पत्र लिखा गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा अरणा विहार में आवंटन हेतु असहमति दी गयी है। तत्पश्चात् प्रार्थी से रामराज नगर में रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड की सहमति हेतु पत्र लिखा गया किन्तु सहमति प्रस्तुत नहीं की गयी।

प्रार्थी के प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित [illegible] तत्कालीन सचिव महोदय से मिला था एवं तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा प्रार्थी के प्रतिनिधि को [illegible] रामराज नगर में अन्य भूखण्ड [illegible] मौखिक निर्देश दिया एवं प्रार्थी को भी निर्देश दिया कि एक भूखण्ड की सहमति कार्यालय देने पर ही भूखण्ड आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही देने पर ही भूखण्ड की सूची स्वयं के अधिवक्ता को दी गई। जबकि कार्यालय में सहमति प्रस्तुत नही की गयी है। अधिवक्ता द्वारा भूखण्डों की सूची माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी एवं भूखण्ड सं. 235 रामराज नगर की सहमति प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं. ए 198 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर की सडक की चौडाई 40 है एवं प्रार्थी द्वारा रामराज नगर भूखण्ड सं. 235 सेक्टर 2 रामराज नगर का आवंटन करने हेतु सहमति प्रस्तुत की है जिसकी सडक की चौडाई 60 फीट है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को पूर्व में राजीव गांधी नगर में 60 फीट सडक पर भूखण्ड संख्या 350 आवंटित किया गया था। अतः न्यायालय में लम्बित अवमानना प्रकरण के मध्यनजर आवेदक को भूखण्ड संख्या 235 सेक्टर–2 रामराज नगर योजना आवंटित किया जावे। साथ ही आवेदक को मूल आवंटन में आवंटित क्षैत्रफल से अब आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड के क्षैत्रफल के अन्तर क्षैत्रफल 35 वर्गगज अधिक भूमि की कीमत राशि नियमानुसार वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: 33/11 के वी सब स्टेशन हेतु 5 बीघा के स्थान पर 01 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु चक सं. 01 खसरा न 02 किस्म गै मु भाकर ग्राम लोरड़ी देजगरा, जोधपुर के संबंध में। JDA/FTS/38221

अधिशांषी अभियंता (जिलाखण्ड) जोधपुर डिस्काम जोधपुर के पत्र क्रमांकः जो.वि.वि.नि.लि. /अ.अ./जि.ख/जो/शाखा संस्थापन/प्रे. 640 दिनांक 4.6.2013 के द्वारा चक सं. 01 खसरा न. 02 किस्म गै मु. भाकर ग्राम लोरड़ी देजगरा, जोधपुर में 05 भूमि क स्थान पर 01 भूमि आवंटन करने के मांग की है।

आवंटन पत्र क्रमांकः F46//Allot/JDA/JU/11/1876/10491-498 DATE 20-5-2011 को प्रसाशन गांवो के संग 2010 के दौरान ग्राम पंचायत लोरडी देजगरा द्वारा पारित प्रस्ताव वास्ते विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, जोधपुर को ग्रामीण विद्युत वितरण 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि की मांग करने पर श्रीमान् जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक स 3737 दिनांक 10.0. 02010 के प्राप्त निर्देशो एंव भूमि हस्तंतारण आदेश क्रमांक प– 12 (3) राज/ आंव/ जेडीए/ 2010/ 1089–94 दिनांक 11.02.2011 को 5 बीघा भूमि गैर मुमकिन भाकर प्राधिकरण को हस्तानांतरण करने पर अधिशाषी अभियंता (जिला खण्ड) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को ग्राम लोरडी देजगरा के चक सं. 01 खसरा न. 02 गैर मुमकिन भाकर में 5 बीघा भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश सं. प–3(208)/नविवि/13/95 पार्ट जयपुर दिनांक 06.08.2004 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियो को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर वर आवंटन की जाने पालना में राजस्थान नगरीय विकास (नगरीय क्षेत्र भूमि निस्पादन) नियम –1974 के नियम 18 (क) के तहत भूमि आवंटित की गयी थी।

डिस्कॉम द्वारा 5 बीघा की राशि जमा नही कराई गई। डिस्कॉम द्वारा पूर्व में आवंटित 5 बीघा के स्थान पर 01 बीघा भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि चाही गई है।

अतः 05 बीघा के स्थान पर 01 बीघा भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु चक सं. 01 खसरा न. 02 गैर मुमकिन भाकर की आवंटन किये जाने हेतु प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निणयार्थ रखा जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: ग्राम बांवरला खसरा नं. 18 चैनसिंह नगर में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन बाबत्। **JDA/FTS/ 32071**

सहायक अभियंता (ओएंडएम) जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड तिंवरी द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र स भरकर प्रस्तुत किया कि ग्राम बांवरला के खसरा नं. 18 चैनसिंह नगर मे 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया। उपरोक्त खसरे की विस्तृत रिपोर्ट पटवारी पश्चिम से दी गयी। पटवारी पश्चिम की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर खसरा नं 18 रकबा 457–18 बीघा भूमि गै. मु. गोचर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। 33/11 केवी सब स्टेशन चैनसिंह नगर में 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन के लिये पटवारी द्वारा मौका देखा गया तथा पत्रावली में संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है। उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है।

उपरोक्त खसरे का भूउपयोग मास्टर प्लान की रिपोर्ट आयोजना शाखा से ली गयी जिसके अनुसार मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार उपरोक्त खसरे की भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेषकर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी है। मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलाइट्स हेतु On all roads afters approual from competent Authority दर्शाया गया है।

उपरोक्त खसरे की विधी शाखा से रिपोर्ट ली गयी जिसके अनुसार ग्राम बांवरला में खसरा नं. 18 में कोई वाद लंबित नही दर्शाया है।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(208)नविवि03/95 पार्ट दिनांक 6.8.2009 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनर्स का विद्युत वितरण कंपनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 22.12.2011 के प्रस्ताव सं. 12(1) के अनुसार गैर योजना क्षेत्र में आरक्षित दर एवं मास्टर प्लान में वर्णित 72 गांव में नगरीय करण योग्य सीमा के बाहर स्थित क्षेत्र में आवासीय आरक्षित दर 1700/– प्रतिवर्गमीटर व मास्टर प्लान से बाहर परिधि नियंत्रण पट्टी ग्रामीण क्षेत्र की 1200/– प्रतिवर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर निर्धारित की गयी है। कार्यालय आदेश सं 2612 दिनांक 2.7.2018 के अनुसार आरक्षित दर पुनः निर्धारण 3 वर्ष से पूर्व भी किया जा सकता है। यदि 3 वर्ष तक पुनः निर्धारण नही किया जाता है तो प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करते हुए प्रकरणों में वसूली की जावें। अतः उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर इस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर 1320/– प्रतिवर्गमीटर है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: रिंग रोड़ में श्मशान भूमि जाने कारण इसके बदले में भूमि आवंटन करने बाबत् खसरा स. 156 ग्राम माणकलाव रकबा 3 बीघा

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय ग्राम पंचायत माणकलाव पंचायत समिति जोधपुर मुख्यालय मण्डोर, जिला जोधपुर के सरपंच श्री बलदेवराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 7.6.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि 36 कौम के श्मशान भूमि 15 बीघा मेसे 3 बीघा भूमि रिंग रोड़ में चली गई है। ग्राम पंचायत माणकलाव ने दिनांक 5.2.2019 को प्रस्ताव में निर्णय लिया गया है। कि श्मशान भुमि की 3 बीघा भूमि खसरा सं. 156 मे से ग्राम पंचायत को दी जावे प्राधिकरण के अधीन में खसरा सं. 156 में 44 बीघा भूमि है उसमे से श्मशान हेतु 3 बीघा भूमि दिलाने का निवेदन किया है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निणयार्थ रखा जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटन की अंतिम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर के समीप सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार आवासीय योजना खसरा संख्या 289 ग्राम बासनी मालियान (रकबा 298010.43 वर्गगज भूमि) लांच करने, नियमानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित करने, आवेदन–पत्रों के आधार पर लॉटरी निकाल कर भूमि आवंटन करने के संबंध में। **JDA/FTS/ 92902**

प्राधिकरण द्वारा सुन्दरसिंह भण्डारी नगर के पास ही ग्राम बासनी मालियान के खसरा संख्या 289 रकबा 298010.43 वर्ग गज भूमि पर सुन्दर सिंह भण्डारी नगर विस्तार आवासीय योजना का ले–आऊट प्लान दिनांक 22 मई, 2019 को आयोजित ले आउट प्लान समिति की बैठक में पारित किया गया है। उक्त योजना में विभिन्न आकारों के कुल 389 भूखण्ड है जिनमें से 56 भूखण्ड कॉर्नर है।

अतः उक्त सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना के लांच करने, योजना में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित करने, आवेदन–पत्रों के आधार पर लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना का अनुमोदन कराने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: भूखण्ड संख्या 51 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने संबंध में । श्री संजय चौधरी पुत्र श्री चैनाराम। **JDA/FTS / 11371**

भूखण्ड संख्या 51 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 15.11.2017 को क्षेत्रफल 20 बाई 40 = 74.32 वर्गमीटर का श्री संजय चौधरी पुत्र श्री चैनाराम को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 39 दिनांक 5.12.2017 को जारी

किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 5.12.2017 को जारी किया जा चुका है। जो 1 वर्ष 1 माह 20 दिन की देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतु-: 90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार नियमन/ बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

उक्त भूखण्ड की राशि को 1 वर्ष 1 माह 20 दिवस हो चुके है तथा 2 वर्ष के भीतर है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड बहाल करने का निर्णय लिया गया। नियमानुसार बकाया कीमत, ब्याज, शास्ति एवं अन्य कोई देय राशि (यदि प्रकरण में लागू हो तो) वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 आवास के प्रकरण के सम्बन्ध में, आवेदक श्रीमती रंजना पंड़ित। JDA/FTS/14542

आवासीय योजना ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 जोधपुर में दिनांक 04/10/2017 को आवास आवंटन हेतु लॉटरी कर दिनांक 27/10/2017 को आवंटन पत्र श्रीमती रंजना पंड़ित के नाम आर्थिक दुष्टि से कमजोर आय वर्ग का फ्लेट संख्या E02-TF-02 आवंटित हुआ
आवंटी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण एवं स्वयं जमा करवाई जाने वाली राशि निम्न प्रकार से समायोजित की जानी थी–

क्र. स.	चरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	जमा कराने की अंतिम दिनांक
	फ्लेट की कुल कीमत	रूपये 3.90 लाख	
1	पंजीयन राशि (पूर्व जमा)	2000/-	पूर्व में जमा।
	पूर्वग्रहण राशि आवंटन से 30 दिवस में (मानचित्र शुल्क राशि अतिरिक्त)		
	अ. पूर्वग्रहण राशि रू.	7100/-	26/11/2017
	मनचित्र शुल्क राशि रू.		
	कुल योग रू.		
2.	पूर्वग्रहण राशि आवंटन से 60 दिवस में	7000/–	26/12/2017
3.	पूर्वग्रहरण राशि आवंटन से 90 दिवस में	7000/–	26/01/2018

37

4.	स्वीकृत बैंक ऋण राशि, अथवा आवंटी द्वारा स्वयं द्वारा स्वयं के ऋण नही लेने की स्थिति में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस में (इस राशि का समायोजन पंजीकरण राशि में नही किया जा सकेगा)	2,92,200/-	26/02/2018
5	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 150 दिवस में	3200/-	26/03/2018
6.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिवस में	3200/-	26/04/2018
7.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 210 दिवस में	3200/-	26/05/2018
8	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 240 दिवस में	3200/-	26/06/2018
9.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 270 दिवस में	3200/-	26/07/2018
10.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 300 दिवस में	3200/-	26/08/2018
11.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 330 दिवस में	3200/-	26/09/2018
12.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 360 दिवस में	3200/-	26/10/2018
13.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 390 दिवस में	3200/-	26/11/2018
14.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 420 दिवस में	3200/-	26/12/2018
15.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 450 दिवस में	3200/-	26/01/2019
16.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 480 दिवस में	3200/-	26/02/2019
17.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 510 दिवस में	3200/-	26/03/2019
18.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 540 दिवस में	3200/-	26/04/2019
19.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 570 दिवस में	3200/-	26/05/2019

आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर फ्लैट स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) के अनुसार उक्त स्वतः रद्द करने क तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि की लागत की राशि व खण्ड 1 में उपबंधित अनुसार ब्याज व शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust(Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है।

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 आवास योजना

क्र. स.	आवंटी का नाम	फलेट संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्रीमती रंजना पंड़ित पुत्री श्री प्रमोद कुमार पंड़ित	E02-TF-02	27.10.2017	24.01.2018	24.01.2019

प्रकरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थीया समस्त लम्बित किश्ते मय ब्याज एवं पेनल्टी एक साथ जमा करवाये तो आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 54/3 रकबा 05.18.16 बीघा भूमि का ले–आउट प्लान के संशोधन के पश्चात लीज राशि रूपये 5,06,265/– बनती है लीज के रूप में जो अधिक रूपये 9,77,310/– की राशि जमा है उसे यू.एल.बी में समायोजित करने के संबंध में। JDA/FTS/ 12410

प्रार्थी श्री कालुराम पुत्र श्री भगवानराम द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 54/3 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा 16 बिस्वांसी का ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 (3–ए)के तहत नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सभी रिपोर्टस प्राप्त कर प्रकरण प्राधिकरण की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 07.02.2018 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 (3–ए)के तहत ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया। प्रकरण में 90–क का निर्णय दिनांक 23.04.18 को किया जाकर नामान्तरण प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुका है।

उक्त क्रम में प्राथी को (एकमुश्त लीज 14,83,575/– व बाहय विकास शुल्क 13,46,232/–) राशि रूपये 28,29,807/– जमा कराने हेतु मांग पत्र दिनांक 22.05.18 को जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2018 को राशि जमा करवा दी गई।

तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रकरण में ले आउट प्लान संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 (3–बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्राधिकरण की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 (3–बी) के तहत ले आउट प्लान अनुमोदित किया गया।

जिसके क्रम में प्राधिकरण के आदेश [illegible] की रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार राशि बनती है:–

1. एकमुश्त लीज रूपये 5,06,265/–
2. यू.एल.बी शुल्क रूपये 8,65,365/–

कुल राशि रूपये 13,71,630/– बनती है जबकि इस प्रकरण में पूर्व में ली गई लीज राशि रूपये 14,83,575/– वर्तमान में देय लीज रूपये 5,06,265/– में से रूपये 9,77,310/–

जो बाद समायोजन अधिक जमा है। इस प्रकरण में बाहय विकास शुल्क देय नहीं होता है। लेकिन इस पेटे रूपये 13,46,232/– रूपये जमा है। जो अधिक जमा होने से नये प्रकरण में देय यू.एल.बी की राशि रूपये 8,65,365/– समायोजन की जाने हेतु सक्षम स्वीकृति लिया जाना उचित है।

तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.02.19 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि " एकल भूखण्ड के ले–आउट प्लान अनुमोदित के पश्चात लीज राशि रूपये 14,83,575/– एवं बाहय विकास शुल्क रूपये 13,46,232/– जमा करवाये थे। यह है कि ले–आउट प्लान के संशोधन के पश्चात लीज राशि रूपये 5,06,265/– बनती है लीज के रूप में जो अधिक रूपये 9,77,310/– की राशि जमा है उसे यू.एल.बी में समायोजित कर अग्रिम कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: भूखण्ड संख्या 183 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटन करने के संबंधमें।

प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में निलामी दिनांक 30.07.2008 को प्रार्थी श्री एस.एस पंवार पुत्र श्री के.एस पंवार द्वारा कॉर्नर भूखण्ड 30x60 का 2665 रूपये वर्ग.मी से खरिद किया गया। जिसकी राशि जरिये रसीद 445642/– रूपये जमा करवाई गई मौके पर भूखण्ड का नाप 83.58 वर्ग.मी बढ जाने के कारण प्रार्थी द्वारा 250830/– जमा करवाकर दिनांक 03.11.2010 को भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया प्रार्थी श्री एस.एस पंवार की मृत्यु पश्चात् उनके वारिसानों द्वारा भूखण्ड की कब्जा दिलाने की मांग की उक्त भूखण्ड प्रस्तावित 200 फिट बाई–पास में आने के कारण प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.07.2018 में रखा गया बैठक निर्णय अनुसार प्रार्थी को इसी योजना में समान आकार का भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण की एन.आई.सी शाखा द्वारा मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के सेक्टर बी में उपलब्ध रिक्त भूखण्डो की सूची उपलब्ध करवाई जिसमें बी 1 40X60 बी 15 व बी 16 तीनों के नाप 222.95 वर्ग.मी है। उक्त भूखण्ड कॉर्नर है परन्तु सड़क का नाप एक तरफ 30 फिट व दुसरी तरफ 60 फिट उपलब्ध आ रहा है। जबकी प्रार्थी द्वारा निलामी से खरिद किये गये भूखण्ड के सड़क का नाप एक तरफ 30 व एक तरफ 40 आ रहा है। प्रार्थी द्वारा निलामी में खरीद किये गये भूखण्ड का नाप 250.78 वर्ग.मी है। जबकी रिक्त भूखण्डों का नाप 222.95 वर्ग.मी है प्रार्थी के वारिसानों द्वारा प्रार्थना पत्र में भूखण्ड संख्या 15 लेने की सहमति पेश की है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 266 वर्ग गज (222.95) वर्ग.मी का भूखण्ड लेने की सहमति पेश की है। योजना की रिजर्व दर एक समान है। मात्र सड़क का नाप 40 के स्थान पे 60 है। अतः भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: नवीन राजकीय महाविद्यालय–लूणी हेतु भूमि आवंटन के संबंध

में |JDA/FTS/ 22780

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय–लूणी उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 260–262 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा आवंटन नीति–2015 के निर्धारित आवेदन प्रारूप 'प्रपत्र–स' में प्रस्ताव प्रेषित कर ग्राम लूणी के खसरा संख्या 642 कुल रकबा 123.04 बीघा किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रेकर्ड में भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज में से 25 बीघा भूमि राजकीय महाविद्यालय–लूणी प्रयोजनार्थ निःशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2018–19 के बिन्दु संख्या 103 की पालना में प्रेषित किया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लूणी के खसरा संख्या 642 का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार रूरल एरिया में स्थित है। उक्त भूमि स्टेट हाईवे पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान–2031(प्रारूप) के अनुसार 200 फीट व तत्पश्चात 100–100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) रूरल एरिया डीसीआर अनुसार स्कूल नहीं दर्शाया गया है।

पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 642 रकबा 123.04 बीघा किस्म गै.मु. ओरण राजस्व ग्राम लूणी में स्थित है। उक्त खसरा जोधपुर विकास प्राधिकरण के खाते में दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि रिक्त पायी गई। दिनांक 23.03.2018 को हल्का पटवारी–लूणी की मौका फर्द के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि लूणी से सतलाना जाने वाली डामर सड़क (राज्य मार्ग 68) पर स्थित है।

सरपंच ग्राम पंचायत लूणी पं.स. जोधपुर के पत्र क्रमांक 28/2018 दिनांक 21.03.2018 के द्वारा नवीन राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि होने पर ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के अनुसार महाविद्यालय (सामान्य तकनीकि, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आईटीआई सहित) शैक्षणिक संस्थाओं को संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 10,000 वर्गमीटर एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम 13,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 264 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर 15 दिवस के लिए आमजन की टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु अपलोड किया जा चुका है।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 119 दिनांक 20 फरवरी 2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के प्रावधान एवं शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डानुसार राजकीय महाविद्यालय हेतु महानगर में 2 एकड़ (8094 व.मी) एवं अन्य स्थानों पर कम से कम 5 एकड़ (20235 व.मी.) भूमि की आवश्यकता का प्रावधान है। आवंटित भूमि मुख्यालय से दूर नहीं हो एवं जन सुविधा भी अधिकतम उपलब्ध हो सके, का प्रावधान रखा गया है।

अतः प्रकरण बैठक में उचिव निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु आवंटन की सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 :: ग्राम पंचायत सालावास रेलवे स्टेशन के खसरा नं. 293 में सर्वश्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।JDA/FTS/ 22664

मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के पत्र क्रमांक 4823 दिनांक 10.06.2019 के द्वारा आवंटन नीति 2015 के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायत सालावास रेलवे स्टेशन खसरा नं 293 रकबा 18.12 बीघा कि.म. बारानी द्वितीय में से 4 बीघा भूमि पर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम की भूमि पर सर्वश्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है। दिनांक 05.04.2016 को सरपंच ग्राम पंचायत सालावास निरीक्षक (भू.अ.) कांकाणी एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है एवं उक्त भूमि का वर्तमान में सर्वश्मशान हेतु उपयोग किया जा रहा है।

दिनांक 11.08.2018 को सरपंच ग्राम पंचायत सालावास पं.सं. लूणी जोधपुर के द्वारा ग्राम पंचायत सालावास की विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामवासी द्वारा श्मशान हेतु काम में ली जारी भूमि को सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबधं में ग्राम पंचायत सालावास द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन–दक्षिण के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास खसरा नं. 293 रकबा 18.12 बीघा किस्म बारानी–द्वितीय जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में 4 बीघा भूमि श्मशान के रूप में काम में ली जा रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सालावास खसरा नं 293 रकबा 18.12 बीघा का भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान–2023 जोधपुर के अंतर्गत परिधि नियंत्रण पट्टी के अंतर्गत आरक्षित है। मास्टर प्लान–2023 के बिन्दु सख्या 4.9 (4) के अनुसार श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु शहर की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते है।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 (8) के अनुसार नवीन आवंटन हेतु श्मशान हेतु संभागीय मुख्यालय पर 3000 व.मी. तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोडकर अन्यत्र 4000 व.मी. भूमि आवंटन के मापदण्ड निर्धारित है। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 258 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण की विभागीय वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिए आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु आवंटन की सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 36 :: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) को उनके स्किल्ड डवलपमेन्ट सेन्टर हेतु भूमि चिन्हित कर आवंटित

करने के संबंध में। **JDA/FTS/ 92979**

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पचपदरा में महत्वकांक्षी रिफायनरी की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जोधपुर में स्किल्ड डवलपमेन्ट सेन्टर हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा भूमियों का चिन्हिकरण करवाया गया है। जिसके अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर भूमि उपलब्ध हैः—

1— ग्राम कडवड खसरा संख्या 453 (किस्म बारानी चतुर्थ) — 30 बीघा
2— ग्राम घड़ाव खसरा संख्या 66 (किस्म गैर मुमकिन गौचर)

उपरोक्त भूमियां हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों/प्रतिनिधि को मौका निरीक्षण करवाने के पश्चात् हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों/प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त भूमियों में से भूमि का चयन कर भूमि आवंटन हेतु मांग करते है तो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई भूमि की मांग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर भूमि नियमानुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को स्किल्ड डवलपमेन्ट सेन्टर स्थापित करने हेतु आवंटित की जा सकती है।

अतः प्रकरण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को स्किल्ड डवलपमेन्ट सेन्टर स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) को उनके स्किल्ड डवलपमेन्ट सेन्टर हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी/सक्षम प्रतिनिधि द्वारा चिन्हित/आवेदित करने पर भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी में दर आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को आवंटन हेतु भूमि चिन्हिकरण बाबत कार्यकारी समिति की बैठक द्वारा लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए पत्र की प्रतिलिपि जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को भी प्रेषित की जावे तथा भूमि चिन्हिकरण किये जाने पर तदनुसार प्रकरण में भूमि आवंटन की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 37 :: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर के कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में। **JDA/FTS/ 61696**

दिनांक 11.02.2019 को महाप्रबंधक (तकनीकि) एवं परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा आवंटन नीति—2015 के निर्धारित आवेदन प्रारूप 'प्रपत्र—स' में आवेदन पेश कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु विवेक विहार आवासीय योजना के संस्थानिक क्षेत्र में 2500 व.मी. भूमि आवंटन की मांग की गई है।

दिनांक 26.06.2019 को आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसके अंतर्गत प्रस्तावित भूमि विवेक विहार योजना के सेक्टर—सी में ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में से 2500 व.मी. भूमि का चयन किया गया।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी में दर आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में भूमि आवंटन की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 38 :: जोन दक्षिण के क्षेत्रफल 15604 हैक्टेयर (156.04 वर्ग किमी) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने बाबत्। JDA/FTS/12414

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 को निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्राधिकरण स्तर पर जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में कुल 4 जोन है जिनमें से वर्तमान में जोन पूर्व व पश्चिम के जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य प्रक्रियाधीन है। वाप्कोस कम्पनी व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य हुए एग्रीमेन्ट अनुसार वाप्कोस कम्पनी द्वारा जोन पूर्व के stage-1 Submission of Inception Report, stage-2 Submission of Inception Report including survey, stage-3 Submission of draft Zonal and Sector Plan & stage-4 Submission of draft Zonal/Sector Plan after incorporating the recommendations of JoDA तक का एवम् जोन पश्चिम के stage-1 Submission of Inception Report & stage-2 Submission of Inception Report including survey तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जोन पूर्व के जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन द्वारा आपत्ति सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा चुका है। आपत्ति सुझाव के कम में प्राधिकरण मे 16 आपत्तियाँ प्राप्त हुई, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। उपरोक्त के कम में वर्तमान में जोजरी नदी के River front integrated development को सम्मिलित करते हुए जोन–दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु वाप्कोस WAPCOS कम्पनी द्वारा उक्त कार्यादेश की निरन्तरता में कार्य सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया जाना है।

जोन–दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने बाबत पत्रावली एफ.टी.एस संख्या 12414 में क्षेत्रफल 15604 हैक्टेयर (156.04 वर्ग किमी) बाबत् पत्रावली के पैरा संख्या 125 व 126 में उल्लेख अनुसार "उक्त कार्य की ए.एण्ड.एफ हेतु इस मद में बजट प्रावधान सुनिश्चित किया जाना उचित रहेगा। मास्टर प्लान मद में बजट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है अतः इसका समावेश किया जाना उचित रहेगा।"

अतः जोन–दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान क्षेत्रफल–15604 हैक्टेयर (156.04 वर्ग किमी) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने बाबत् प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने बाबत प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग–9/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 126/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2019/847 दिनांक :: 15 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जोधपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (यात.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ [illegible]/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 4 जुलाई, 2019 को दोपहर 12.00 बजे (पूर्व निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे के स्थान पर) श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर (शहर), जोधपुर
2. श्री पी.के. स्वामी, अधिशाषी अभियन्ता शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री भानूप्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
4. श्री जे.एस. कच्छवाह, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री संजय पुरोहित, अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, जोधपुर
6. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक (सीबीएस), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लिमिटेड, जोधपुर
7. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री ओ.पी. विश्नोई, (उपायुक्त–दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर